कुरुक्षेत्र

सितम्बर, 1986 मूल्य : 1.50 रु०

शिवगंगा में हरियाली ही हरियाली

"शिवगंगा शब्द से हमारी आंखों के आगे भगवान शिवजी की जटाओं से नीचे उतरती हुई उस अजस्र प्रवाह वाली विशाल मां गंगा की छवि साकार हो उठती है जो कि अपने प्रवाह में सामने आने वाली प्रत्येक नश्वर वस्तु को अपने में समाविष्ट कर बहा ले जाती है ।

वास्तव में शिवगंगा सूखाग्रस्त एक छोटा सा गांव था जहां कि पीने का पानी भी आसानी से उपलब्ध नहीं था ।

कर्नाटक के होलालकेरे क्षेत्र के अन्तर्गत इस सूखे गांव की स्थिति सदियों से ऐसी ही चली आ रही थी और वहां रत्ती भर भी कोई परिवर्तन नहीं आया था । यद्यपि गांव में 5000 एकड़ कृषि योग्य भूमि है परन्तु इन्द्र देवता पर निर्भर होने के कारण केवल कुछ ही भूमि क्षेत्र में खेती हो पाती थी । सूखा और इसके परिणामस्वरुप गरीबी उनके दो जुड़वें दु:स्वप्न हैं जिससे वे शायद ही कभी छुटकारा पाते हैं ।

पानी के अभाव में कराहते शिवगंगा गांव को चित्र दुर्ग ग्रामीण बैंक के सहयोग से पानी उपलब्ध करा उसे सूखे के भयंकर अभिशाप से मुक्त कराया गया । इस संस्था ने शिवगंगा में एक छोटी सी शाखा खोली और कुओं की खुदाई के लिए आसपास के गांवों के लोगों को ऋण देने की पेशकश की ।

शुरु-शुरु में किसान इसे अपनाने के लिए आगे नहीं आये । बहुत विश्वास दिलाने के बाद कुछ प्रगतिशील किसानों ने कुओं की खुदाई के लिए बैंक ऋण लेने का जोखिम उठाया । बाद में और भी लोग आगे आये । धीरे-धीरे इस योजना ने लोकप्रियता प्राप्त की और 1985 तक शिवगंगा में बोर वाले कुओं से 800 एकड़ शुष्क भूमि की खेती होने लगी । बैंक द्वारा पम्प सेटों के लिए भी ऋण उपलब्ध करा देने से बोर वाले कुओं की कार्यक्षमता में और भी ज्यादा वृद्धि हो गई ।

एक सामान्य बोर वाले कुएं से प्रति घंटे 3500 और 6500 गैलन के बीच पानी उपलब्ध होता है । पम्प सेट और बोर वाले कुएं लगाने वाले कुछ लोग अब अपने जरुरतमंद पड़ोसियों को भी

(शेष पृष्ठ 29 पर)

'कुरुक्षेत्र' के लिए मौलिक लेख, कहानी, एकांकी, कविता, संस्मरण, हास्य-व्यंग्य चित्र आदि भेजिए ।

●

अस्वीकृत रचनाओं की वापसी के लिए टिकट लगा व पता लिखा लिफाफा साथ आना आवश्यक है ।

●

'कुरुक्षेत्र' की एजेन्सी लेने, ग्राहक बनने, पता बदलने या अंक न मिलने की शिकायत, व्यापार व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 से कीजिए ।

सम्पादकीय पत्र-व्यवहार : सम्पादक, कुरुक्षेत्र (हिन्दी), कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय, 467, कृषि भवन, नई दिल्ली के पते पर करें ।

दूरभाष : 382406

एक प्रति : 1.50 रु.
वार्षिक चन्दा : 15 रु.

सहायक सम्पादक : गुरचरण लाल लूथरा
उपसम्पादक : घनश्याम मीणा

सहायक निदेशक (उत्पादन) : राम स्वरुप मुंजाल
आवरण पृष्ठ : मेघजी परमार

आवरण चित्र फोटो प्रभाग से साभार

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास का प्रमुख मासिक

वर्ष 31 भाद्रपद-आश्विन 1908 अंक 11

इस अंक में **पृष्ठ संख्या**

राजस्थान में जनजाति विकास-नई दिशाएं 2
प्रभात कुमार सिंघल
काम के बदले अनाज 5
डा.बी.डी. कविदयाल
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान का ग्रामीण विकास में योगदान 8
के.के. पालीवाल
राजस्थान में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम 10
सुखह सिंह यादव
उत्तर प्रदेश में सहकारिता द्वारा समग्र विकास 13
ममता
बिहार में जोतों का उपविभाजन वैज्ञानिक काश्तकारी में बाधक 15
कृष्ण मुरारी सिंह 'किसान'
धर्म युद्ध (कविता) 18
दुर्गाशंकर त्रिवेदी
राजस्थान के पशु मेले 19
दिनेश कुमार माथुर
ग्रामीण युवाओं की आशाओं का केन्द्र युवक कल्याण कोष समिति 20
भुवनेश जैन 'भानु'
गरीबी हटाने के प्रति सरकार वचनबद्ध 23
त्रिलोक सिंह जयन्त
पेड़ (कविता) 29
राजेन्द्र उपाध्याय
खड़ा होता आदमी (कहानी) 30
सुबोध
मिट्टी ही नियति है 31
सत्यनारायण श्रीवास्तव
पूर्ण पोषक फल-पपीता 32
अयोध्या प्रसाद 'भारती'

राजस्थान में जनजाति विकास—नई दिशाएं

प्रभात कुमार सिंघल

पग-पग पर बेबसी। जमाने भर की ठोकरें। निरीह जीवन जीने की नियति। छोटे-छोटे खेत ऊंची-नीची पहाड़ी घाटियों पर। अज्ञान की अंतहीन सीमा रेखा। बेरोजगारी से जूझते बेगारी में जीते। कहीं कोई पूछ नहीं। हाली-मुवाली में गुजरते दिन। आर्थिक परवशता के साथ-साथ सामाजिक चेतना का अभाव। राजस्थान के आदिवासी भील, मीणा, गेरासिया, डामोर और सहरिया इन्हीं समस्याओं से ग्रस्त थे जब देश ने आजादी की सांस ली।

राजनैतिक स्वतंत्रता के बाद जहाँ सम्पूर्ण देश के आर्थिक उत्थान का प्रश्न था वहीं वनों में और पहाड़ों पर रहने वाले इन आदिवासियों के सर्वांगीण उत्थान का भी सवाल था। सामान्य लोगों की तरह इन्हें भी खुशहाल बनाने के प्रयासों का एक सिलसिला प्रारम्भ किया गया और विशेष ध्यान दिया जा सके इसके लिए वर्ष 1975 में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना की गई और अप्रैल 1978 से इसका मुख्यालय जयपुर से बदलकर उदयपुर कर दिया गया।

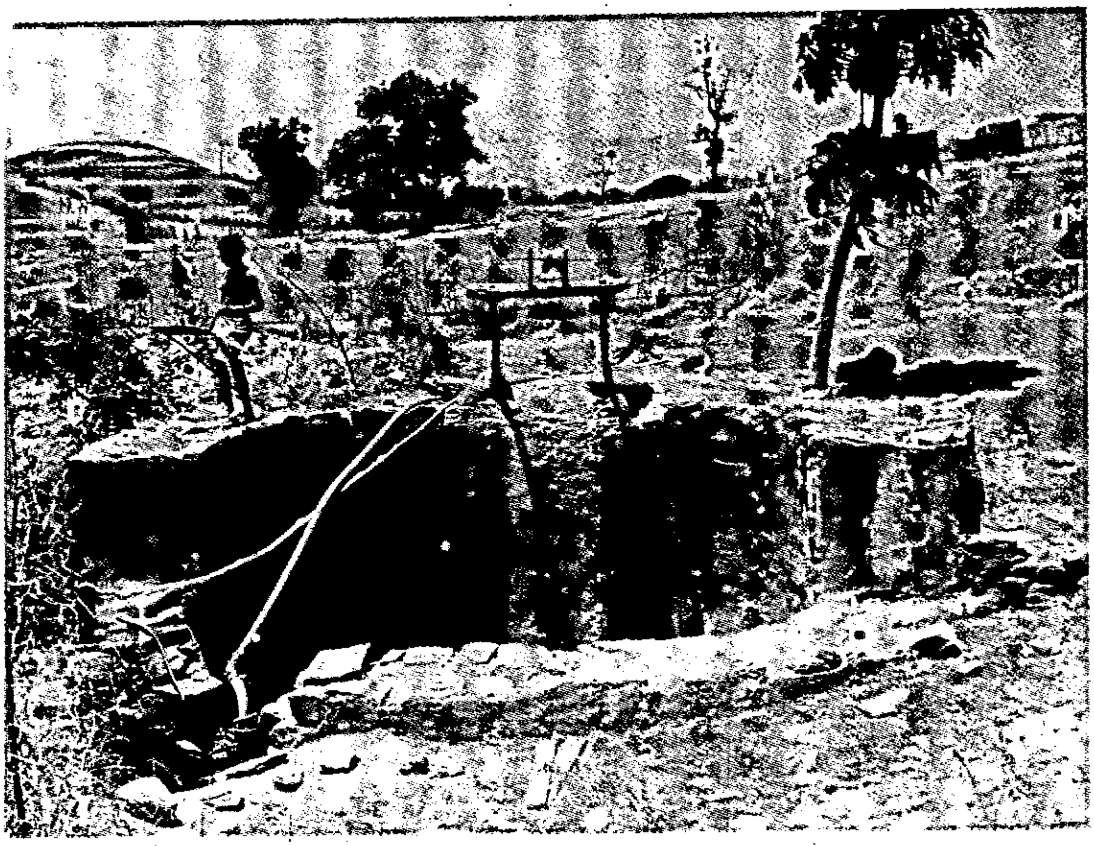

सूखा एवं अकाल से मुक्ति के लिए कुओं को गहरा किया जा रहा है

योजनाबद्ध विकास और निर्माण का एक सिलसिला शनैः-शनैः गति पकड़ने लगा। राज्य सरकार जनजाति कल्याण के लिए समर्पित एवं दृढ़ संकल्प है। विभाग की स्थापना से पूर्व राज्य की वार्षिक योजनाओं में आदिवासियों के विकास पर सामान्य रूप से ध्यान दिया गया।

जनजाति क्षेत्रीय विकास उपयोजना में जनजाति क्षेत्र मुख्यतः राजस्थान के दक्षिणवर्ती क्षेत्रों में हैं। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के सम्पूर्ण जिलों सहित उदयपुर जिले के सात विकास खंड, चित्तौड़गढ़ जिले की प्रतापगढ़ तहसील तथा सिरोही जिले का आबू रोड विकास खंड जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत आता है। कोटा जिले के विकासखंड शाहबाद एवं किशनगंज के सहरिया आदिवासी भी इस योजना में लिए गए हैं।

राजस्थान में जनजातियों की जनसंख्या41.83 लाख है जो प्रदेश की कुल जनसंख्या का 12.20 प्रतिशत है। वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार 5 जिलों (उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही और चित्तौड़गढ़) की 23 पंचायत समितियों के 4409 गांवों के 19 हजार 770 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 27 लाख 57 हजार लोग हैं, जिनमें अनुसूचित जनजाति के 18 लाख 30 हजार व्यक्ति रहते हैं। यह कुल जनसंख्या का 66.39 प्रतिशत है।

जनजाति उपयोजना के अतिरिक्त भी 13 जिलों अलवर, धौलपुर, भीलवाड़ा, टोंक, बूंदी, कोटा, चित्तौड़, उदयपुर, झालावाड़, पाली, सवाईमाधोपुर, सिरोही एवं जयपुर के 38 खंडों में जनजातियों का सघन समूह है। जिनके 2939 गांवों में 8.62 लाख व्यक्ति निवास करते हैं। इनके लिए पृथक कार्यक्रम माडा योजना में संचालित किया जा रहा है।

वार्षिक योजनाओं में सामान्य रूप से तथा 1975 के पश्चात् विशेष प्रयासों के माध्यम से सागड़ी उन्मूलन, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, साहूकारी अधिनियम जैसे कानूनों द्वारा आदिवासियों का शोषण रोकने, मूलभूत सुविधाओं का विस्तार, शिक्षा तथा प्रशिक्षण तथा मानवीय संसाधनों का विकास, जीवन स्तर में गुणात्मक वृद्धि, एकीकृत ग्रामीण विकास, स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण सरीखी गरीबी उन्मूलन योजनाओं को लागू करना, सूखा संभाव्य क्षेत्रीय कार्यक्रम, पेयजल, चिकित्सा, यातायात एवं विद्युतीकरण आदि विभिन्न सुविधाओं के विस्तार में गुणात्मक सुधार तथा रोजगार अवसर बढ़ाने के प्रयासों पर बल दिया गया।

आदिवासियों के उत्थान पर मार्च 85 **अर्थात् छठी पंचवर्षीय योजना के अंत तक** 454.66करोड़ रु. की धनराशि व्यय की गई। वर्ष 1985-86 में फरवरी 86 तक 49 करोड़ 72 लाख रुपया व्यय किया गया। 16 हजार 557 हैक्टेयर क्षेत्रफल अधिक उत्पादन देने वाली फसलों के अन्तर्गत लाया गया। एक हजार 945 जनजाति कृषकों को फलदार पौधा विकास कार्यक्रम के तहत लाकर 53 हजार 550 फलदार पौधे वितरित किये गये। 382 हैक्टेयरअतिरिक्त भूमि पर सिंचाई सुविधा विकसित करने के लिए 15 जलोत्थान सिंचाई योजनाओं पर निर्माण काम प्रारम्भ कराया गया तथा सिंचाई सुविधा विस्तार के लिए 2806 कुओं को गहरा किया गया। वन विकास के तहत 20 लाख पौधे लगाये गये। ग्रामीण ईंधन के लिए 2900 **हैक्टेयर में तथा सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के** लिए कई परिवारों का चयन किया गया। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में चार हजार से अधिक परिवारों को लाभान्वित किया गया। बिचौलियों से शोषण से मुक्ति के लिए सहकारिता क्षेत्र में करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। 125 गांवों और 483 **कुओं का विद्युतीकरण किया गया। 6 हजार से अधिक** को खादी एवं ग्रामोद्योग इकाइयों में रोजगार सुलभ कराया गया।

वृहत, मध्यम एवं लघु सिंचाई की अनेक परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। माही बाँध बनकर लगभग तैयार हो चुका है। किसानों की जमीन तक बाँध से पानी उचेलने का काम चल रहा है। जाखम सिंचाई परियोजना, सोम कमला अम्बा, सोम कादगर तथा जयसंमद आधुनिकीकरण सिंचाई परियोजनाएं आदिवासियों की आशाएं हैं और उनके लिए वरदान बनेंगी।

आदिवासियों को मछली पालन एवं मत्स्य आखेट पर रोजगार जुटाने तथा रेशम कीट पालन की योजनाएं सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही हैं।

किये गये प्रयासों एवं प्रयत्नों का परिणाम था कि वर्ष 1984 तक आदिवासी क्षेत्रों में 6.26 लाख हैक्टेयर क्षेत्रफल में फसलें उगाई जाने लगीं। पशुपालन के क्षेत्र में 57 चिकित्सालय औषधालय, 6 ग्राम आधार केंद्र, 3 मछली पालन परियोजनाएं एवं दो मुर्गीपालन परियोजनाएं कार्यरत थीं। सहकारिता में 134 लैम्प, 77 पैक्स थे। कुल2.70 लाख सदस्य सहकारिता से जुड़े जिनमें 1.90 लाख जनजाति सदस्य थे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से 80 चिकि., 25 प्रा. **स्वा. केंद्र 257 उप केंद्र तथा 328 आयुर्वेदिक औषधालय व चिकित्सालय थे। 1822 गांवों एवं 10,463 कुओं पर बिजली** थी। शिक्षा के लिए 2582 प्राथमिक शालाएं,595 उच्च प्राथमिक, 183 उच्च/माध्य., 17 आश्रम स्कूल तथा 128 छात्रावास कार्यरत थे।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में निवेश

जनजाति विकास पर सातवीं पंचवर्षीय योजना में छठी योजना के 287.37 करोड़ रुपये की तुलना में 601 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे। इसमें से 351 करोड़ राज्य योजना के अन्तर्गत (202 करोड़ रुपये छठी योजना में) व्यय होगा।

इसके अतिरिक्त जनजाति विकास के लिए लगभग 61 करोड़ रुपये भारत सरकार से केंद्रीय सहायता के रूप में प्राप्त होंगे।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में सघन विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आदिवासियों का तीव्र एवं सम्पूर्ण विकास हो सके अतः कुछ कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है।

नारू उन्मूलन

डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर के आदिवासी क्षेत्रों में देश के 20 प्रतिशत के लगभग नारू-रोगी हैं। दूषित पेयजल पीने से फैलने वाली इस बीमारी को समूल रूप से समाप्त करने का एक संकल्प किया गया है। यूनिसेफ की सहायता से डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा जिले में 12 करोड़ रुपये की महत्वपूर्ण योजना भारत सरकार ने स्वीकृत की है। इसमें से 5 करोड़ रुपये की राशि राज्य सरकार का हिस्सा होगी। उदयपुर के लिए भी पृथक से 2.66 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत हुई है।

प्रस्तावित कार्यक्रमों में डूंगरपुर में 2400 तथा बांसवाड़ा में 1600 हैंडपंप लगाने तथा क्रमशः 2000 एवं 700 बावड़ियों को पेयजल कुओं में बदलने के साथ-साथ जन शिक्षण एवं नारू रोग चिकित्सा शिविरों के कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। इस दिशा में ग्रामीण जनसम्पर्क दल गठित कर योजना क्रियान्विति को प्रभावी बनाया जायेगा। शिविरों का आयोजन प्रारम्भ कर दिया गया है।

सघन फल विकास

कम आयतन और अधिक मूल्य वाली कृषि ही जनजाति क्षेत्रों में सफल हो सकती है,को ध्यान में रखकर ही प्रत्येक पंचायत समिति में 10 गाँवों का समूह बनाकर 230 गाँवों के करीब 2500 काश्तकारों के यहाँ सघन फल विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किया जायेगा। आरम्भिक तैयारियाँ पूर्ण कर ली गई हैं। प्रशिक्षण का कार्य प्रारम्भ हो चुका है। आम, संतरा, नीबू, अमरूद एवं आंवला आदि के लगभग 70 हजार स्वस्थ पौधे लगाये जायेंगे।

सघन फल विकास की तरह ही वृक्षों की खेती कार्यक्रम को भी सघन रूप में 250 गाँवों में लिया जायेगा। कृषकों को अपनी भूमि पर वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

रेशम कीट पालन एवं मछली पालन कार्यक्रमों की सफलता को देखते हुये अधिक प्रभावी बनाया जायेगा। भेड़ों की नस्ल सुधारने के विशेष कार्यक्रम होंगे। जिला स्तर पर उपलब्ध औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधा को प्रत्येक पंचायत समिति स्तर तक बढ़ाने की योजना है।

(शेष पृष्ठ 7 पर)

काम के बदले अनाज

डा. बी.डी. कविदयाल

प्रस्तुत लेख में काम के बदले अनाज योजना की समीक्षा करते हुए इसे और अधिक उपयोगी बनाने हेतु सुझाव देने का प्रयास किया गया है। योजना के व्यावहारिक पक्ष की जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से नैनीताल जनपद के हलद्वानी विकास खण्ड में इस योजना से सम्बद्ध कुछ श्रमिकों, सरकारी कर्मचारियों, ठेकेदारों तथा जागरुक नागरिकों से विचार विमर्श किया गया।

आर्थिक विकास का सही मापदण्ड न तो राष्ट्रीय आय का सूचकांक है और न ही बचत व पूंजी निर्माण का अनुपात। यह तो आम लोगों द्वारा अपनी आर्थिक उन्नति के लिए किये गये प्रयास का परिणाम है। इसलिए विकास को आम लोगों की आवश्यकता की पूर्ति का परिचायक होना चाहिए। वस्तुतः आर्थिक विकास के सही मापदण्ड हैं–आम लोगों के रहन-सहन के स्तर में सुधार लाना, उनको नियमित रोजगार के अवसर प्रदान करना, उनके लिए आवास, चिकित्सा, पेयजल, बच्चों की शिक्षा तथा यातायात के सस्ते साधनों की व्यवस्था करते हुए उनकी आय में वृद्धि करना। काम के बदले अनाज योजना ऐसा ही एक कार्यक्रम है जो आर्थिक विकास की इन आकांक्षाओं की पूर्ति में काफी सहायक हो सकता है।

भारत के ग्रामीण क्षेत्रों, जहां देश की लगभग 75% जनसंख्या निवास करती है, में विद्यमान बेरोजगारी तथा निर्धनता नियोजकों के लिए शुरू से ही एक चुनौती रही है। इस समस्या के समाधान के लिए नियोजन काल में अनेक प्रयास किये गये हैं। काम के बदले अनाज योजना सरकार द्वारा ग्रामीण विकास हेतु प्रारम्भ किये गए विभिन्न कार्यक्रमों में से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है।

योजना के उद्देश्य

भारत सरकार द्वारा काम के बदले अनाज योजना। अप्रैल, 1977 से प्रारम्भ की गयी। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त बेरोजगारी व भूख के समाधान के लिए एक कारगर उपाय है। इससे कृषक व कृषि मजदूरों को अपने घर के नजदीक ही उस अवधि में काम उपलब्ध कराया जाता है जबकि खेती में काम न होने से वे बेरोजगार रहते हैं। इस योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नवत् हैं–

1. बेरोजगार व अल्प-बेरोजगार लोगों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में लाभ प्रद रोजगार के अवसरों का सृजन करना ताकि वे अपनी आय एवं रहन-सहन के स्तर में सुधार कर सकें।

2. ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, पुल, सिंचाई नहर, स्कूल भवन जैसी आधारभूत संरचना का निर्माण करना तथा इनके रख-रखाव की व्यवस्था करना जिससे कि ग्रामीण विकास को बल मिल सके।

3. उपलब्ध खाद्यान्न से मानव संसाधन का उपयोग सम्भव बनाना जिससे कि विकास के साथ-साथ मूल्य स्थिरता लाने में सहायता मिल सके।

योजना का स्वरूप

काम के बदले अनाज योजना में सरकार बफर स्टाक में अतिरेक मात्रा में उपलब्ध अनाज को मजदूरी के रूप में भुगतान कर ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण एवं मरम्मत कार्य करवाती है। इन

कार्यों में सड़क, सिंचाई नहरें, स्कूल भवन, कुएं, तालाब, बाढ़, सुरक्षा एवं भू-संरक्षण कार्यक्रम शामिल हैं । प्रारम्भ में काम के बदले मजदूरी के रूप में केवल गेहूं प्रदान करने की व्यवस्था थी लेकिन बाद में कुछ राज्यों के अनुरोध पर गेहूं के साथ-साथ चावल भी मजदूरी के रूप में भुगतान किया जाने लगा है । केन्द्र सरकार बफर स्टाक में अतिरेक मात्रा में उपलब्ध अनाज को इस योजना के संचालन के लिए राज्य सरकारों को आवंटित करती है और राज्य सरकारें इस अनाज के आधार पर प्राथमिकता के अनुसार कार्य करवाती हैं ।

उपलब्धियां

काम के बदले अनाज योजना की सबसे बड़ी उपलब्धि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में पर्याप्त वृद्धि होना है। योजना आयोग द्वारा किये गए सर्वेक्षण के अनुसार इस कार्यक्रम से रोजगार अवसरों में लगभग 10.9% की वृद्धि हुई है। इस कार्यक्रम से ग्रामीण क्षेत्रों में आधार-भूत संरचना के निर्माण में काफी सहायता मिली है। गांवों में सड़कों, पुलों, सिंचाई नहरों, कुओं आदि के निर्माण से कृषि उत्पादन व वितरण कार्य में काफी सुधार हुआ है। अनेक गांवों को शुद्ध पेय जल उपलब्ध कराया गया है। स्कूल भवनों के निर्माण से शिक्षा सुविधा का विकास हुआ है। इस कार्यक्रम से भूमि के कटाव तथा बाढ़ की रोकथाम में भी मदद मिली है। यातायात एवं अन्य सुविधाओं के विकास से ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक विकास की सम्भावनाएं बढ़ी हैं ।

इस कार्यक्रम की एक अन्य उपलब्धि मूल्य-नियन्त्रण में सहायक होना है। चूंकि काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत अनाज जैसी आवश्यक सामग्री सुदूर क्षेत्रों में भी निर्धारित सरकारी मूल्यों पर उपलब्ध हो जाती है अतः इससे अनाज के मूल्यों को नियंत्रित करने में कुछ सहायता मिलती है।

काम के बदले अनाज योजना की इन उपलब्धियों को और अधिक प्रभावकारी बनाने के लिए इसकी कुछ कमियां दूर करना वांछित है। जिनकी जानकारी मुख्यतः व्यक्तिगत सर्वेक्षण से मिली है। प्रमुख कमियां निम्नवत् हैं।

कमियां

1. काम के बदले अनाज योजना के क्रियान्वयन में अनेक बार इस कारण रुकावट आ जाती है कि निर्माण कार्य के लिए आवश्यक सामग्री जैसे लोहा, सीमेंट एवं तकनीकी जानकारी आदि समुचित मात्रा में और उचित मूल्य पर उपलब्ध नहीं हो पाती।

2. काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कराये जाने वाले अधिकांश निर्माण कार्यों का स्तर बहुत निम्न रहता है। जिसका कारण इन कार्यक्रमों के लिए समुचित सर्वेक्षण न किया जाना, उचित नियोजन का अभाव तथा समुचित तकनीकी जानकारी व उचित निरीक्षण की व्यवस्था न होना है। अनेक ऐसे उदाहरण देखने को मिले हैं कि गांवों में बनायी गयी सड़कें पहली बरसात में ही बहकर समाप्त हो गयीं। ये भी देखने में आया कि वर्षों पहले अर्धनिर्मित सड़कें आज तक पूरी नहीं की गईं क्योंकि कुछ किसानों की जमीन उसमें चली गयी थी।

3. इस योजना के अन्तर्गत श्रमिकों को काम के बदले अनाज मजदूरी के रूप में दिया जाता है लेकिन श्रमिकों की खाद्यान्न की आवश्यकता के अतिरिक्त अन्य आवश्यकताएं (जैसे कपड़ा, आवास, चिकित्सा आदि) भी हैं। अनेक ऐसे मामले भी सामने आये कि मजदूर इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, नकद धन प्राप्त करने के लिए मजदूरी के रूप में प्राप्त खाद्यान्न को कम कीमत पर बेचने को मजबूर हो जाते हैं।

4. काम के बदले अनाज योजना पूर्णतः बफर स्टाक में उपलब्ध खाद्यान्न की मात्रा पर निर्भर है । चूंकि भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। अतः इस कार्यक्रम का भविष्य भी अनिश्चित जान पड़ता है।

5. सर्वेक्षण से यह शिकायत भी मिली कि मजदूरी के रूप में वितरित किये जाने वाला अनाज प्रायः निम्न स्तर का होता है । भारतीय खाद्य निगम द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले इन अनाज के बोरों में कूड़ा-करकट मिला रहता है। प्रायः अनाज के बोरों का वास्तविक वजन इन पर अंकित वजन से कम होता है।

6. काम के बदले अनाज योजना में श्रमिकों को सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा से कम अनाज मजदूरी के रूप में देना, ठेकेदारों द्वारा अनाज को ब्लैक में बेचकर मजदूरों को बहुत ही कम नकद राशि मजदूरी के रूप में देना तथा ठेकेदार व सरकारी कर्मचारियों की मिली-भगत के कारण फर्जिया मस्टर रोल (मजदूरी तालिका) तैयार करने जैसी अनियमितताएं भी सुनने को मिली हैं।

इन कमियों को देखते हुए यह निष्कर्ष निकालना एक बहुत बड़ी त्रुटि होगी कि काम के बदले अनाज योजना को बन्द कर दिया जाय। आज आवश्यकता इस बात की है कि इन कमियों को दूर करते हुए इस बहुउद्देशीय कार्यक्रम को पूर्ण सफल बनाया जाये।

निम्न सुझाव इस दिशा में उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं:—

सुझाव

1. काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों के लिए व्यापक सर्वेक्षण के साथ-साथ ब्लाक व

जिला स्तर पर समुचित नियोजन किया जाय। साथ ही आवश्यक निर्माण सामग्री एवं तकनीकी मार्ग-दर्शन की उचित व्यवस्था हो।

2. सार्वजनिक निर्माण विभाग इस योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों का न्यूनतम स्तर तय करे तथा निरीक्षण की समुचित व्यवस्था करे। जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि जितना भी निर्माण कार्य हो मजबूत व टिकाऊ हो।

3. श्रमिकों को नकद धन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मजदूरी का भुगतान अंशतः नकदी में और अंशतः अनाज में किया जाय। इसका एक लाभ यह भी होगा कि देश में किसी वर्ष कम खाद्यान्न उत्पादन होने की स्थिति में नकद राशि से इस कार्यक्रम का संचालन सम्भव हो पाएगा और इस कार्यक्रम को स्थायी स्वरूप मिल पाएगा।

4. मजदूरी वितरण के सम्बन्ध में ठेकेदारों द्वारा की जाने वाली अनियमितता को रोकने के लिए उचित यह होगा कि ठेकेदार प्रतिदिन सरकारी कर्मचारियों के निरीक्षण में मजदूरों को मजदूरी के लिए कूपन जारी करें। इन कूपनों के आधार पर अनाज/धन का वितरण किसी सरकारी एजेंसी के माध्यम से किया जाय।

5. भारतीय खाद्य निगम को इस योजना के लिए उपलब्ध कराये जाने वाले अनाज के गुण स्तर का पूरा ध्यान रखना चाहिए तथा यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अनाज के बोरों का वजन पूरा हो।

6. काम के बदले अनाज योजना को ग्रामीण विकास के एक स्थायी कार्यक्रम के रूप में मान्यता दी जाए। जिला, ब्लाक एवं पंचायत स्तर पर इस कार्यक्रम के समन्वय, संचालन तथा निरीक्षण की समुचित व्यवस्था की जाये।

सारांश रूप में यह कहा जा सकता है कि काम के बदले अनाज योजना ग्रामीण विकास का एक बहुउद्देश्यीय कार्यक्रम है। इससे भविष्य में भी अनेक बेरोजगारों को रोजगार एवं भूखों को पौष्टिक खाद्यान्न तो उपलब्ध होगा ही साथ ही गांवों में सड़क, सिचाई सुविधा, शुद्ध पेय जल, स्कूल व अस्पताल के लिए भवनों के निर्माण से इन क्षेत्रों के आर्थिक,सामाजिक तथा नैतिक उत्थान में भी सहायता मिलेगी। आवश्यकता इस बात की है कि इस कार्यक्रम में विद्यमान कमियों को दूर करते हुए इसे और अधिक प्रभावशाली बनाया जाये। □

प्रवक्ता वाणिज्य, डी.एस.बी. परिसर,
कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल

राजस्थान में जनजाति विकास-नई दिशाएं.... (पृष्ठ 4 शेषांश)

खेतों के छोटे आकार के कारण कम कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन देने वाली फसलें कृषि विकास के अन्तर्गत उगाई जायेंगी। वनों के पुनरुत्थान के लिए सामूहिक सहभागिता, स्थानीय वृक्षों की पौध का रोपण, सामाजिक वानिकी सुरक्षा तथा इनमें स्वैच्छिक संस्थाओं को योगदान दिया जायेगा।

शिक्षा विस्तार तथा स्तर सुधार के साथ-साथ विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में चेतना समूहों का गठन करना तथा प्रत्येक विकास खण्ड की दीर्घकालीन योजना बनाना शामिल है।

आदिवासियों को लगातार हो रहे सूखा एवं अकाल से मुक्ति के लिए 15 हजार कुओं को गहरा कराने की कार्रवाई प्रारम्भ हो गई है। 5 हजार कुएं उदयपुर में, 4-4 हजार कुएं बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर में, 1500 चित्तौड़गढ़ और 500 कुएं सिरोही में गहरा कराने की योजना है। अनुमान है कि इन सभी कुओं को गहरा कराने पर 1986 के अंत तक 10 हजार हैक्टेयर भूमि में अधिक सिंचाई का लक्ष्य प्राप्त हो सकेगा।

कुओं को गहरा कराने के अलावा एनीकट एवं जलोत्थान योजनाओं के द्वारा सिंचाई क्षमता विकसित करने के लिए 10 हजार बीघा सिंचित रकबा बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित कार्यक्रमों की सफल क्रियान्विति के लिए विभाग प्रयत्नशील है। इनसे आशा की जा सकती है कि आदिवासियों की आर्थिक दशा तो बेहतर होगी ही साथ ही सामाजिक जागरुकता भी बढ़ेगी जिससे उनके लिए किये गये प्रयासों का वास्तविक लाभ उन्हें मिल सके और आदिवासी लोग खुली हवा में सांस लेने के साथ-साथ बेहतर ढंग से जीवनयापन कर सकें। □

द्वारा श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता
425, हीरण मगरी, सैक्टर-11,
उदयपुर (राजस्थान)

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान का ग्रामीण विकास में योगदान

के.के. पालीवाल

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की देश भर में फैली हुई प्रयोगशालाएं तथा क्षेत्रीय केन्द्र देश में सर्वांगीण विकास के लिये कटिबद्ध हैं। वे केवल बड़े उद्योगों अथवा शहरी जनता के लिए ही अनुसंधान नहीं करते बल्कि देश के उन दूर-दराज के गांवों के विकास में भी अत्यंत रुचि रखते हैं, जिनमें देश के 80 प्रतिशत लोग रहते हैं।

ग्राम वासियों के दैनिक जीवन में सुधार करना, उनके लिये छोटी पूंजी वाले उद्योग विकसित करना आदि भी परिषद का एक प्रमुख उद्देश्य है। उसकी प्रयोगशालाओं में ऐसी अनेक युक्तियां विकसित की गयी हैं जो सस्ती हैं, आसानी से बनायी जा सकती हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका सीधा संबंध गांववासियों के दैनिक जीवन से है। ऐसी कुछ युक्तियों का संक्षिप्त विवरण निम्न है।

जल-उपचार संयंत्र : देहातों में पीने के पानी की अक्सर समस्या रहती है। जो पानी वहां पीने के लिये उपलब्ध होता है उसमें ज्यादातर अनेक प्रकार की गंदगियां रहती हैं। गांवों के तालाब आदि का पानी तो आम तौर से गन्दा रहता ही है। गांवों के पास से बहने वाली नदियों का पानी भी पर्याप्त रूप से स्वच्छ नहीं रह पाता, विशेष रूप से बरसात में। इसको भी पीने से पहले उपचारित करना आवश्यक होता है।

राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, नागपुर ने देहातों की इस समस्या को हल करने के लिये एक जल उपचार संयंत्र विकसित किया है। इस संयंत्र में तीन सेकेन्द्री बेलनाकार कक्ष होते हैं। इनमें से सबसे बाहरी कक्ष फिल्टर की भांति कार्य करता है। बीच के कक्ष में पानी में घुली मिट्टी आदि नीचे बैठ जाती है। सबसे अन्दर का कक्ष फलाक्यूलेटर कक्ष होता है जिसमें पैडल लगे होते हैं। इसमें ऐसी व्यवस्था होती है कि फिटकरी घोल निरंतर गिरता रहे। फिटकरी के फलस्वरूप पानी में कोलायडी रूप में उपस्थित अशुद्धियां, जो फिल्टर में से निकल जाती हैं और बीच के कक्ष में नीचे नहीं बैठ पातीं, अलग होकर नीचे बैठ जाती हैं। फिटकरी के घोल से उपचारित पानी को एक बार फिर छाना जाता है और उसे ब्लीचिंग पाउडर से उपचारित किया जाता है तथा आवसादी (सेडी-मेन्टेशन) बेसिन में भेज दिया जाता है। इस प्रकार के उपचार से पानी में से न केवल अघुलनशील अशुद्धियां वरन् कोलायडी रूप में मौजूद अशुद्धियां तथा हानिकारी बेक्टीरिया आदि भी दूर हो जाते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियर अनुसंधान संस्थान ने एक ऐसा संयंत्र बना कर कनहन नदी के किनारे स्थापित किया था। वह संयंत्र उस नदी के जल को एक वर्ष तक साफ करता रहा। उस जल में अघुलनशील गंदगी 20-1900 एन.टी.यू.पी. उसमें 7-200 मि.ग्रा. प्रति लिटर फिटकरी मिलाई जाती थी। इस तरह उपचारित जल के भौतिक-रासायनिक गुण पेय जल के मानक के समान होते थे।

गांव के लोग भी इस संयंत्र को चलाते थे और उसका रख-रखाव करते थे। इस संयंत्र में एक घनमीटर जल को उपचारित करने में 9 यूनिट बिजली खर्च होती थी और उसे स्वच्छ करने में 50 पैसे से एक रुपये तक खर्च आता था।

अग्निरोधी छत : देहातों में घास-पूस की छतों पर प्राय: आग लगने का डर रहता है। इस तरह जन-धन की अत्यधिक हानि होती है। केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की में पुआल, नारियल लम्बी घास या खजूर की बनी छतों को अग्निरोधी बनाने की विधि विकसित की गई है। साधारण छतों की अपेक्षा इसकी आयु तीन गुना अधिक होती है। इसमें घास-पूस की छत के दोनों तरफ ऊपर और नीचे मिट्टी का ऐसा प्लास्टर लगाते हैं जो आसानी से न छूटे। अगर सूखने पर प्लास्टर में कहीं दरार पड़ जाये तो पुन: उसे मिट्टी से लेप कर बंद कर देते हैं। उस पर दो परतें गोबर की और दो परत 1:2 के अनुपात में बिटुमिन और मिट्टी के तेल की लेप कर दी जाती हैं उसके ऊपर फिर एक परत गोबर की चढ़ा दी जाती है।

उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों में कई स्थानों पर इस प्रकार की छत के सफल प्रदर्शन किये गये हैं। आंध्रप्रदेश आवास निगम, हैदराबाद ने 250 करोड़ रुपये की आवास योजना के अन्तर्गत

संस्थान की इस योजना के साथ अन्य बहुत सी योजनाओं को क्रियान्वित किया है । इस अग्निरोधी छत पर 25 रुपये प्रति वर्ग मी. लागत आती है ।

दोने पत्तल बनाने वाली मशीन : देहातों में शादी व्याह अथवा किसी भी धार्मिक कार्यक्रम के उपरान्त भोज के लिये दोनों और पत्तलों का उपयोग किया जाता है । दोने सस्ते, साफ और इस्तेमाल में आसान होते हैं और भोजनोपरांत इनको कूड़े के ढेर पर फेंका जा सकता है । पर इनको बनाने में काफी समय लगता है और मजदूरी कम मिलती है ।

केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर ने दोने और पत्तल बनाने के लिए एक मशीन विकसित की है । इस मशीन से विभिन्न आकार प्रकार के दोनें–पत्तल बनाये जा सकते हैं । इस तरह सब दोने एक ही आकार और आकृति के बनते हैं और हाथ के बने दोनों–पत्तलों से बेहतर होते हैं । ये दोने, पत्तल इतने अच्छे होते हैं कि हवाई अड्डों के भोजनालयों में भी अब इनका उपयोग किया जाने लगा है । इस मशीन से अधिक मात्रा में और कम मेहनत में दोने, पत्तल बनाये जा सकते हैं । इसमें दोने बनाने वाले को अपेक्षाकृत अधिक मजदूरी मिल सकती है ।

विशेषता : मशीन हाथ से चलाई जाती है । बिजली स्टोव अथवा बायोगैस का प्रयोग सिर्फ सांचों को गरम करने के लिये किया जाता है । इसमें ढाक, कचनार, केले के पत्तों का प्रयोग होता है । इसके अतिरिक्त रद्दी अखबार अथवा अन्य कागजों का भी इस्तेमाल कर आकर्षक,मजबूत,एक समान तथा विभिन्न आकृतियों के दोने-पत्तल बनाये जा सकते हैं । इनसे तरल पदार्थ का रिसने का डर नहीं रहता तथा ये स्वच्छ होते हैं ।

सौर आसवन यंत्र : देश के कई भागों में सिर्फ खारा पानी ही मिलता है । देहात में लोगों को पीने के पानी के लिये बहुत दूर जाना पड़ता है । यह मनुष्य और पशु दोनों के लिये बड़ी दुखद स्थिति है । खारे पानी को पीने योग्य बनाने के लिये केन्द्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, भावनगर (गुजरात) ने सौर आसवन यंत्रों का विकास किया है । इन यंत्रों की वार्षिक औसत आसवन क्षमता कांच के प्रति वर्ग–मीटर के क्षेत्र से 2-3 लि. प्रति दिन है । सौर आसवन यंत्र के कक्ष में 5 से. मी. गहराई तक खारा अथवा नमकीन पानी भर दिया जाता है । सूर्य की किरणों से पानी गर्म होकर भाप में बदल जाता है । यह जल वाष्प कांच के अन्दर की सतह के सम्पर्क में आकर संघिनित होती है । संघिनित वाष्प पानी की बूंदों के रूप में नीचे गिरती है जिसको एक नलिका में एकत्रित कर लिया जाता है ।

इसकी मुख्य खूबियां हैं :

1. यह खारे पानी को पीने योग्य बनाने की सबसे आसान विधि है ।
2. यह यंत्र किसी भी दूरदराज अथवा दुर्गम स्थान पर आसानी से स्थापित किया जा सकता है ।
3. इसका रख-रखाव तथा उपयोग आसान है ।

(खादी ग्रामोद्योग से साभार)

संक्षिप्त समाचार

- सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान नेफा मिल्स ने 31 मार्च, 1986 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान 65 हजार मी. टन के उत्पादन लक्ष्य की तुलना में 66.13 हजार मी. टन अखबारी कागज का रिकार्ड उत्पादन किया ।
- इंडियन पैट्रो-कैमिकल्स कारपोरेशन ने वर्ष 1985-86 के दौरान प्रयोगशाला संयंत्र में अपनी स्थापित क्षमता का 110 प्रतिशत से भी अधिक उपयोग किया और पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 10 प्रतिशत अधिक उपयोग किया ।
- केन्द्र सरकार ने देश में तेल तथा गैस की खोज तथा विकास से संबद्ध साज-सामान खरीदने तथा अन्य सेवाओं के लिए कनाडा से 19 करोड़ 80 लाख डालर के एक अन्तर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किये ।
- पुलिस संबंधी विषय पर हिन्दी लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए इस वर्ष श्री परिपूर्णानन्द द्वारा लिखित भारतीय पुलिस को 7,000 रुपये के नकद पुरस्कार के लिए चुना गया है । चार अन्य पुस्तकों को भी 3,000-3,000 रुपये के नकद पुरस्कारों के लिए चुना गया है ।
- अप्रैल, 1985 से फरवरी, 1986 की अवधि में देश में 13 करोड़ 56 लाख 60 हजार मी. टन कोयले का रिकार्ड उत्पादन हुआ जबकि गत वर्ष इस अवधि के दौरान 13 करोड़ 7 लाख 60 हजार मी. टन कोयले का उत्पादन हुआ था ।
- राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड ने वर्ष 1986-87 के दौरान 32.50 लाख हैक्टेयर परती भूमि के विकास का लक्ष्य निर्धारित किया है । इसके लिए राज्यों की सहायता से एक वृहद योजना शुरू की गई है । इस दौरान सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत 64,860 लाख पौधे परती भूमि में लगाए जाएंगे । ☐

राजस्थान में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम

सुबह सिंह यादव

"भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था के अल्पविकसित प्रदेश राजस्थान में प्राकृतिक संतुलन बनाये रखने एवं कृषि तथा पशुपालन के विकास में वनों की महत्वपूर्ण भूमिका है । दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई जनसंख्या की बाढ़ से वन उपज की मांग की पूर्ति करने में वनों की जो कटाई हुई है उसके फलस्वरूप वनों का क्षेत्रफल न केवल कम हुआ है बल्कि उनकी उत्पादन क्षमता भी गिर गई है । वर्तमान राजस्थान राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 3.42 लाख किलोमीटर है । इसके 31150 वर्ग किलोमीटर में वन फैले हैं जो कि प्रदेश के भू-भाग का 9 प्रतिशत है । इस वन क्षेत्र में भी अब तो श्रेष्ठ और सघन वनों का ह्रास हो चुका है । केवल एक तिहाई भाग में वन समझे जा सकने वाले जंगल बचे हैं । शेष नग्न पहाड़ियों, परिभाषित वनों के रुप में दिखाई देते हैं । (देश की पड़त भूमि का 17 प्रतिशत भाग राजस्थान में है) उपरोक्त कथित 1/3 वन, जो वृक्षों से आच्छादित हैं, घनी आबादी वाले क्षेत्रों से दूर अरावली एवं विन्ध्याचल की पर्वत मालाओं तक ही सीमित हैं ।"

इससे पूर्व की हम राजस्थान में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम पर प्रकाश डालें, सामाजिक वानिकी की संधारणा व क्षेत्र को समझना उपयुक्त होगा । सामाजिक वानिकी का अर्थ समुदाय के मूल्यों तथा आर्थिक व सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरुप विवेकपूर्ण वृक्षारोपण से है । राष्ट्रीय कृषि आयोग के अनुसार **इसके 4 उद्देश्य हैं :-**

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन की लकड़ी का पूर्ति तथा गोबर को जलाने से बचाकर खाद के काम लाना।
(2) टिम्बर की पूर्ति ।
(3) कृषि भूमि की हवाओं से सुरक्षा ।
(4) मनोरंजनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति ।

सामाजिक वानिकी के चार अंग हैं :—

(1)फार्म वन वृक्षारोपण ।
(2) विस्तार वृक्षारोपण ।
(3) घटिया वनों में पुन: वृक्ष लगाना ।
(4) मनोरंजनात्मक वृक्षारोपण ।

संक्षेप में सामाजिक वानिकी की धारणा का उद्देश्य चराई, घासों व चारे की पूर्ति,हवा व पानी द्वारा भूमि के कटाव को रोकने के लिए कृषि भूमि की सुरक्षा हेतु कांटों की फेंसिंग के अतिरिक्त ईंधन की लकड़ी तथा टिम्बर का उत्पादन भी करना है ।

राजस्थान में सामाजिक वानिकी

राजस्थान राज्य में यह कार्यक्रम पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में प्रारम्भ किया गया था । छठी योजना में इसका स्वरूप ग्रामीण ईंधन योजना एवं वृक्षावली कार्यक्रम तथा मरू विकास कार्यक्रम था । सातवीं योजना के अन्तर्गत राजस्थान के सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को राष्ट्रीय सामाजिक वानिकी परियोजना में शामिल कर लिया गया । आगामी पांच वर्षों के लिए विश्व बैंक इस परियोजना के लिए सहायता प्रदान करेगा । 1985-86 से आरम्भ होने वाली इस परियोजना का प्रथम चरण 1989-90 तक पूरा होने की सम्भावना है ।

गरीबों के लिए सामाजिक वानिकी कार्यक्रम

वन विभाग द्वारा सामाजिक वानिकी एवं अन्य वृक्षारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत कमजोर एवं पिछड़े क्षेत्र के लिए कई योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं :—

(अ) **वृक्षारोपण द्वारा सामाजिक सुरक्षा**

यह योजना राज्य के जनजाति उपयोजना क्षेत्र में आदिवासियों के उत्थान के लिये 1981 से क्रियान्वित की जा रही है । इस योजना के अन्तर्गत आदिवासी लोगों को प्रति वर्ष 2 हैक्टेयर वन भूमि वृक्षारोपण के लिए दी जाती है व वृक्षारोपण कराने के लिए पारिश्रमिक के तौर पर 3000 रुपये प्रति परिवार दिया जाता है । साथ ही यह परिवार वन रोपण क्षेत्र में प्राप्त होने वाली घास तथा अन्य लघु उपज को अपने ही पास रखता है । यह उसकी

अप्रत्यक्ष अतिरिक्त आमदनी है । इसका प्रत्यक्ष निहितार्थ यह हुआ कि प्रारम्भ से ही परिवार को लाभ मिलता है । वर्ष 1981-82 में इस योजना के अन्तर्गत 75 परिवार, वर्ष 1982-83 में 150 परिवारों को एवं 1983-84 में 100 परिवारों को लाभान्वित किया गया ।

(ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों के माध्यम से पौध उगाने की योजना

इस योजना के अन्तर्गत गरीब अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों को उनके खेत पर पौधशाला स्थपित कर पौधे उगाने का कार्य दिया जाता है, जिस हेतु समस्त आवश्यक सामग्री तथा तकनीकी जानकारी वन विभाग उपलब्ध कराता है । किसान को केवल पौधे लगाने हेतु श्रम करना पड़ता है । जब पौधे रोपण योग्य हो जाते हैं तो विभाग उन्हें 20 पैसे प्रति पौधे की दर से खरीद लेता है । वर्ष 1981-82 में इस योजना में 100 कृषकों ने 5.66 लाख पौधे, वर्ष 1982-83 में 139 कृषकों ने 11.25 लाख पौधे व वर्ष 1983-84 में 19 लाख पौधे उगाये । इस योजना को और बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है।

सामाजिक वानिकी कार्यक्रम : (1985-86-1989-90)

पृष्ठभूमि :—भारत सरकार के उर्जा सर्वेक्षण संस्थान ने ग्रामीणों के लिये जलाऊ लकड़ी प्रति दिन प्रति व्यक्ति मानदण्ड 0.58 किलोग्राम तथा शहरी क्षेत्रों के लिये 0.42 किलोग्राम निर्धारित किया है । इस मानदण्ड के अनुसार 1981 व 2001 के लिये राजस्थान के लिये जलाऊ लकड़ी की आवश्यकता इस प्रकार आती है :—

सारणी

क्षेत्र	जलाऊ लकड़ी की मांग (लाख टनों में)	
	1981	**2001**
1. ग्रामीण क्षेत्र	57	65
2. शहरी क्षेत्र	9	8

वर्तमान में विभागीय प्रणाली तथा सरबोफ्क से राज्य के वनों से 7 लाख टन लकड़ी प्रतिवर्ष निकलती है जो कुल मांग की 10 प्रतिशत है (शेष 90 प्रतिशत) मांग की पूर्ति खेतों, चरागाहों, सिवायचक भूमि पर खड़े वृक्षों एवं झाड़ियों से, कृषि अवशषों से तथा गोबर से पूरी की जाती है ।

राष्ट्रीय कृषि आयोग ने ग्रामीण क्षेत्रों में जलाने की लकड़ी व चारे की समस्या के अध्ययन के पश्चात् ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर सामाजिक वानिकी कार्यक्रम प्रारम्भ करने की सिफारिश की है ।

सामाजिक वानिकी निदेशालय वन विभाग, राजस्थान के अनुसार इस योजना के निम्न उद्देश्य हैं:

1. पर्यावरण की शुद्धि एवं प्राकृतिक सन्तुलन स्थापित करना ।
2. राजस्थान जैसे शुष्क प्रदेश के गांवों और शहरों की नष्ट होती हरितमा की पुनर्स्थापना ।
3. ग्रामीण जनता की जलाऊ एवं कृषि कार्यों के लिये लकड़ी/पशुओं के लिए घास तथा मनुष्यों के लिये फलों का उत्पादन बढ़ाना ।
4. गांवों में बेकार पड़ी पड़त भूमि से वन उपज का उत्पादन बढ़ाना ।
5. प्रदेश में सड़कों, नहरों, बांधों व रेलवे लाइनों के किनारे पड़ी हुई उपजाऊ भूमि से लकड़ी, चारा एवं फलों का उत्पादन बढ़ाना ।
6. गोबर को चूल्हे में जलाने से बचाना ताकि उसका उपयोग खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में हो ।
7. ग्रामीण व शहरी जनता के लिये संस्कृति एवं कला तथा तीज त्यौहार हेतु वृक्ष वाटिकाएं स्थापित करना ।
8. ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की क्षमता बढ़ाना ।
9. ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों के लिये वन उपज का उत्पादन।
10. छोटे किसानों की आय के पूरक स्रोत कायम करना ।
11. लकड़ी को ईंधन के रूप में जलाने में कमी लाना तथा उर्जा के गैर परम्परागत स्रोतों को ग्रामीणों में लोकप्रिय बनाना ।

इस योजना में राजस्थान के 27 जिलों से 16 जिले (अलवर, अजमेर, टौंक, कोटा, झालावाड़ चित्तौड़, सिरोही, डूंगरपुर, भरतपुर, जयपुर, सवाईमाधोपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा व धौलपुर) इस परियोजना में सम्मिलित किये गये हैं । पश्चिमोत्तर राजस्थान के शेष 11 जिलों में "मरू विकास कार्यक्रम" के अन्तर्गत वनीकरण एवं चरागाह विकास कार्यक्रम प्रारम्भ कर दिया है । ये जिले हैं—चूरू, झुन्झुनू, बीकानेर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, जालोर, जैसलमेर, सीकर, नागोर, जोधपुर, और पाली ।

परियोजना के प्रमुख कार्यक्रम

वन विभाग द्वारा सामाजिक वानिकी एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत समाज के पिछड़े एवं कमजोर वर्गों के उत्थान के लिये अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं ।

कृषि वानिकी एवं पौधशाला विकास :

(क) **पौधशाला विकास :** ऐसा माना जाता है कि सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की सफलता का प्रमुख आधार पौधशालाओं का तीव्र व अधिकाधिक विस्तार है । यह कार्यक्रम मुख्यतया कृषकों एवं विद्यार्थियों के लिये है ।

खेतों एवं स्कूलों में स्थापित पौधशालाओं से किसानों को कृषि वानिकी के लिये निकट से पौधे मिलने की सुविधा रहती है । इन पौधशालाओं के अतिरिक्त 50 स्थायी विभागीय पौधशालाओं के विकास कार्यों को भी इसमें शामिल किया गया है जिनसे 25, 1985-86 में तथा शेष 25, 1986-87 में स्थापित की जायेंगी ।

(ख) **कृषि वानिकी :** इस कार्यक्रम में किसान अपने खेतों पर पौधे लगायेंगे । इस परियोजना में 12 करोड़ पौधे वितरित किये जायेंगे । इसका वर्षवार विवरण इस प्रकार है :—

सारणी 2

कृषिवानिकी		बेर बगीचों का विवरण
वर्ष	राशि करोड़ रु. में	पेड़ करोड़ों में
1985-86	0.25	0
1986-87	2.50	80,000
1987-88	3.00	90, 000
1988-89	3.00	1, 00, 000
1989-90	3.25	1, 30, 000
योग	12.00	4, 00, 000

किसानों को आवश्यक जानकारी ग्रामविकास कर्मियों एवं सामाजिक वानिकी कार्मिकों के द्वारा दी जायेगी ।

(ग) **बेर के बगीचों का विकास :** 80 हजार किसानों के लाभ के लिये आरम्भ की जाने वाली इस योजना के अन्तर्गत किसानों के खेतों पर पायी जाने वाली छोटे आकार वाली देसी बेर की झाड़ियों को उखाड़ कर उनके ऊपर अच्छी किस्म के बेर की पेबन्द (ग्राफ्ट) लगाई जायेगी इसका वर्षवार विवरण सारणी 2 में दिया गया है । 4 हजार हैक्टेयर में 100 वृक्ष प्रति हैक्टेयर की दर से बेर के बगीचों का विकास होगा । इस सम्बन्ध में बेर के पेबन्द निकालने के पौधशालाओं में कली उत्थान की स्थापना अपेक्षित है ।

2. गरीब एवं भूमिहीन व्यक्तियों हेतु निजी वनों की स्थापना

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमिहीन एवं गरीब व्यक्तियों का चयन करके उनको 2.5 हैक्टेयर पड़त भूमि वनीकरण हेतु आबंटित की जायेगी । इस आबंटित भूमि के आधे हैक्टेयर पर व्यक्ति प्रतिवर्ष वृक्षा-रोपण करेगा । इस प्रक्रिया द्वारा परियोजना काल के 5 वर्षों में एक व्यक्ति के पास निजी स्वामित्व वाला ढाई हैक्टेयर वर्ग तैयार हो जायेगा । इन व्यक्तियों को इस भूमि पर वृक्ष लगाने के लिये निशुल्क पौधे एवं बीज वितरित किये जायेंगे और अनुदान के रूप में वृक्षारोपण वर्ष में 600 रु. लाभान्वित व्यक्ति को अनुदान के रुप में दिये जायेंगे । इस भूमि से व्यक्ति को हरी घास व चारा आरम्भ से ही मिलने लग जायेगा । इस कार्यक्रम में प्रति हैक्टेयर 1650 पौधे तथा 20 उन्नत बेर के पौधे लगाये जायेंगे ।

3. सामुदायिक ग्राम्य वन

प्रस्तुत योजना के अन्तर्गत पंचायतों को उनकी भूमि पर ग्राम्य वन स्थापित करने के लिये प्रोत्साहन दिया जायेगा । इस कार्यक्रम हेतु पंचायत ग्राम्य वन लगाने के लिये धन राशि,तकनीक जानकारी एवं पौधे आदि वन विभाग से ले सकेंगे । जहां तक सम्भव होगा इस भूमि पर वनीकरण पंचायतों द्वारा ही किया जायेगा । लेकिन जहां पंचायत इस कार्य को कराने में असमर्थता प्रकट करती है परन्तु भूमि देने के लिये तैयार हो जाये वहां यह कार्य वन विभाग द्वारा किया जायेगा । 5 वर्षों के पश्चात इन हरे भरे ग्राम्य वनों का प्रबन्ध पंचायतों को सौंप दिया जायेगा । ताकि वे इनका प्रबन्ध सामाजिक वानिकी अधिकारी द्वारा बनाई गयी प्रबन्ध योजना के अनुरुप कर सकें ।

4. पड़त भूमि पर सामूहिक मांग की पूर्ति के लिये वनीकरण

प्रस्तुत कार्यक्रम में 5 मुख्य योजनाएं शामिल हैं

(क) परिभाषित वनों का पुन : रोपण : ग्रामीण क्षेत्रों के पास की वन भूमि में किये जाने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य ईंधन व चारे की पूर्ति करना है । इस कार्यक्रम के तहत बूलोप्लोरा, बबूल, रैवर, बांस आदि-आदि वृक्ष लगाये जायेंगे जिनको पशु अधिक नुकसान भी न पहुंचायें व ग्रामवासी भी निरन्तर उपज प्राप्त कर सकें । प्रस्तुत कार्यक्रम में प्रति हैक्टेयर 1200 पौधे लगाये जायेंगे जिनमें 400 पौधारोपण द्वारा व 800 बीजारोपण द्वारा होंगे ।

(ख) **पथ वृक्षारोपण :**—सड़कों के किनारे विकसित किये जाने वाले इस कार्यक्रम में कांटेदार झाड़ी या डोला का निमार्ण एक वर्ष में पूरा किया जायेगा ।

(ग) नहरों के किनारे वृक्षारोपण

(घ) रेल की लाइन के किनारे वृक्षारोपण

(ङ) बांधों के किनारे वृक्षारोपण

5. परियोजना संचालन

आज वन विभाग का कार्यक्षेत्र केवल वन क्षेत्र की सुरक्षा, संवर्धन व विकास तक ही सीमित है । उन पर उपरोक्त उत्तर-दायित्व का भार काफी अधिक रहने से उन्हें इन्हीं कार्यों से फुरसत नहीं मिलती है । अतः वन क्षेत्र से बाहर होने वाले

(शेष पृष्ठ 14 पर)

उत्तर प्रदेश में सहकारिता द्वारा समग्र विकास

ममता

सहकारी समितियों द्वारा ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति करने से जहां एक ओर किसानों का सामाजिक आर्थिक उत्थान सम्भव हो सका है वहीं दूसरी ओर राष्ट्र के कृषि उत्पादन एवं सर्वांगीण ग्राम्य विकास की गति भी तीव्र हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर की कृषि ऋण समितियों द्वारा ऋण सुविधा प्रदान के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाई जा रही है। प्रत्येक समिति के कार्यालय एवं भण्डार के लिए गोदाम की व्यवस्था हेतु शासन कृत संकल्प है।

इन समितियों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए जिला स्तर पर केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा प्रदेश स्तर पर शीर्ष सहकारी बैंक कार्यरत हैं। उत्तर प्रदेश में 1164 बैंक शाखायें विभिन्न सहकारी योजनाओं के अन्तर्गत ऋण एवं अनुदान की सुविधा उपलब्ध करा रही हैं।

उत्तर प्रदेश के कृषकों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये सहकारी क्षेत्र को इस प्रकार से विकसित किया जा रहा है कि उन्हें उनकी कृषि उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो। साथ ही साथ भण्डारण और विपणन में भी कोई परेशानी न हो। आज स्थिति यह है कि प्रदेश में धान, सोयाबीन, दाल, गन्ना और आलू जैसी कृषि उपज के क्रय-विक्रय से लेकर उनके द्वारा तैयार उत्पादन को उपभोक्ताओं तक पहुँचाने तक का महत्वपूर्ण कार्य विभिन्न सहकारी समितियों द्वारा किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में धान की पैदावार भारी मात्रा में होती है। उत्तर प्रदेश में इस समय 23 चावल मिलें सहकारी क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। वर्ष 85-86 में इन मिलों की इकाईयों द्वारा 175640 कुन्तल धान की प्रक्रिया की गई। वर्ष 1984 में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने प्रादेशिक सहकारी संघ को 27.75 लाख रु. धान एवं दाल प्लांट के लिए स्वीकृत किये थे। राज्य सरकार द्वारा भी पांच धान मिलों को सुदृढ़ करने के लिये 11.38 लाख रु. की ऋण सहायता दी गई है।

प्रदेश में 22 दाल मिलें सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत स्थापित की जा चुकी हैं। प्रत्येक इकाई की क्षमता 1.62 लाख कु. प्रति वर्ष है। वर्ष 1984-85 में 43675 कुन्तल दाल की प्रक्रिया की गई थी। 7 दाल मिलों को शासन द्वारा 11.48 लाख रु. का ऋण सुदृढ़ीकरण के लिए उपलब्ध कराया गया। सहकारी क्रय-विक्रय समिति कौंच तथा बांदा में प्रति घण्टा एक टन क्षमता की दाल मिल निर्माणाधीन है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में 10 आधुनिक दाल मिल तथा इस आकार की और दाल मिलों की स्थापना का प्रस्ताव है।

प्रदेश में 5 सहकारी तेल इकाइयां, 14 मूंगफली प्रक्रिया इकाइयां तथा हरदोई में एक वनस्पति मिल भी है। प्रादेशिक सहकारी संघ द्वारा संचालित परियोजना में वर्ष 1984-85 में आयल की क्षमता 750 कु. के विरूद्ध 4960 कु. की प्रक्रिया की गई। साल्वेट एक्सटेंशन प्लांट में अप्रैल 85 तक 20240 कु. की प्रक्रिया करने के फलस्वरूप 26955 रुपये का लाभ अर्जित किया गया।

कृषकों को आलू के भंडार की व्यवस्था सुलभ कराने के उद्देश्य से राज्य में पहले तो शीतगृहों की स्थापना का कार्यक्रम राज्य सरकार की सहायता से चला फिर उसके बाद राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से प्राप्त वित्तीय सहायता तथा विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य हुआ। प्रदेश में 58 सहकारी शीतगृह हैं जिनकी क्षमता 149400 मी. टन है। वर्ष 1985 में 48 शीतगृहों ने 92 प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया। 45 शीतगृह निर्माणाधीन हैं। जो शीतगृह कार्यरत हैं उनमें 26 सहकारी हैं। इनकी आय में वृद्धि करने के लिए 16 बर्फ खाने स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई। 12 बर्फ खाने पूर्ण हैं तथा 4 बन रहे हैं। शीघ्र ही विद्युत आपूर्ति की समस्या से बचने के लिए 50 शीतगृहों में जनरेटर लगाने का लक्ष्य है जिनमें से 39 जनरेटर लग चुके हैं।

उत्तर प्रदेश में एन.सी.डी.सी. की 111 ग्रामीण गोदाम परियोजनाएं राज्य सहकारी बैंक द्वारा संचालित की जा रही हैं। स्वीकृति प्राप्त 3568 गोदाम, परियोजना अवधि (31.12.84) तक पूर्ण हो गये थे जिनसे 3,48,400 टन अतिरिक्त भण्डारण क्षमता की वृद्धि हुई। लेकिन उत्तर प्रदेश

में प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों की संख्या 8602 है। अतः जिन समितियों के लिए प्रथम योजना में गोदाम की स्वीकृति नहीं हो सकी थी उनके लिए एन.सी.डी.सी. द्वारा 111 परियोजनाओं की स्वीकृति हुई जिसे जुलाई 84 से लागू किया गया है। एन.सी.डी.सी. की द्वितीय परियोजना के अन्तर्गत शीतगृहों का निर्माण कार्य चल रहा है।

1,516 लाख टन क्षमता के 1597 ग्रामीण गोदाम एन.सी.डी.सी. तीसरी योजना में तीन वर्ष के अन्दर प्रदेश में बनाए जायेंगे। 46 ग्रामीण गोदाम प्रादेशिक सहकारी संघ के माध्यम से बनवाए जायेंगे। रा.सह. वि.नि. को इस योजना में स्वीकृत गोदामों का निर्माण हो जाने से प्रदेश में सहकारी समितियों के पास अपने भवन हो जाएंगे। इससे कृषकों को बीज, कृषि यंत्र तथा उर्वरक आदि समिति पर ही मिल सकेंगे। उपभोक्ता वस्तुओं की विक्रय व्यवस्था में सुधार आएगा। सचिव का निवास कार्यालय के समीप होने से सरलता रहेगी। भण्डारण व्यवस्था सुलभ हो सकेगी।

1976 से पूरे प्रदेश में सहकारी समितियां,जो कृषि ऋण का मुख्य कार्य करती थीं. का पुनर्गठन न्याय पंचायत स्तर पर किया गया। 1978 तक 3299 भवन और गोदाम सहकारी समि. के पास थे । शेष समितियों के सदस्यों को बड़ी परेशानी रहती थी। किन्तु राष्ट्रीय सह.वि. निगम की सहायता से यह समस्या भी दूर हो गयी।

प्रदेश में 250 क्रय-विक्रय सहकारी समितियां हैं। जो कृषकों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने के अलावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उपभोक्ता सामग्री का व्यवसाय कर लीड समिति की भूमिका का निर्वाह भी कर रही हैं।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय अंचल में 5 जनपदों में भेषज संघ स्थापित हैं तथा जड़ी बूटी एकत्र करने के लिए इन्हें वैज्ञानिक ढंग से उत्पादित करने तथा उनके वितरण के लिए शासन द्वारा अंशपूंजी, अनुदान और प्रशिक्षण हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है। इस दिशा में हलद्वानी की सहकारी औषधि निर्माणशाला की भूमिका सराहनीय है।

फल उत्पादकों का आर्थिक स्तर सुधारने के लिए फल उत्पादकों की एक शीर्ष सहकारी संस्था का गठन किया गया है ताकि फल विपणन में सही मूल्य उत्पादकों को मिल सके तथा मण्डी में व्यापारियों के शोषण से भी उन्हें बचाया जा सके। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में सहकारी विकास दिन पर दिन तेज हो रहा है तथा व्यापक क्षेत्र में सामने आ रहा है।

उत्तर प्रदेश में सहकारिता (वर्ष 84-85)

सभी प्रकार की सह. समितियां	20,504
ग्रा. कृषि ऋण सह. समितियां	8,602
सदस्यता	110.74 लाख
कार्य शील पूंजी	69775.51 लाख रु.
ऋण वितरण (अल्प एवं मध्यकालीन	1,10,537.00 लाख रु.

82/35, गुरु गोबिंद सिंह मार्ग
लालकुआँ, लखनऊ-19

(पृष्ठ 12 का शेषांश)

सामाजिक वानिकी कार्यक्रम जिसमें प्रसार व जनसंपर्क की अधिक आवश्यकता पड़ती है, को क्रियान्वित करने के लिये अतिरिक्त कर्मियों का प्रबन्ध किया गया है । परियोजना का संचालन एक पृथक निदेशक सामाजिक वानिकी, राजस्थान के अधीन होगा और प्रत्येक क्षेत्र में परियोजना अधिकारी इसका संचालन करेगा । क्षेत्रीय स्तर पर इस कार्य का निष्पादन एवं समन्वय का काम प्रादेशिक वन संरक्षक करेंगे । इस कार्य की कई योजना तैयार करने एवं प्रबोधन एवं मूल्यांकन के लिये प्रत्येक क्षेत्र में पृथक उप-वन संरक्षक होंगे जिनका निदेशन सामाजिक वानिकी के वन संरक्षक प्रबोधन एवं मूल्यांकन जयपुर द्वारा किया जायेगा ।

6. अनुसंधान व प्रशिक्षण

किसी कार्यक्रम में अनुसंधान विकास व प्रशिक्षण का महत्वपूर्ण स्थान होता है । सामाजिक वानिकी कार्यक्रम में समन्वयक व अनुसंधान पदाधिकारियों के पद शामिल किये गये हैं । ये अधिकारी कृषि वानिकी कार्यक्रम में पंचायत व पौधारोपण के लिये अच्छी प्रजाति के बीजों का एकत्रीकरण, जांच व वितरण करेंगे । प्रशिक्षक कीटनाशक दवाईयां तथा उर्वरक की आवश्यकता पर अनुसंधान करेंगे । प्रशिक्षण की पूर्ति के लिये अलवर स्थित वन प्रशिक्षण केन्द्र में सामाजिक वानिकी प्रशिक्षण की एक शाखा स्थापित की जायेगी तथा एक नया सामाजिक वानिकी प्रशिक्षण केन्द्र जयपुर में स्थापित होगा जिसमें अधिकारियों व कर्मियों को प्रसार, संपर्क एवं प्रचार कार्य में प्रशिक्षित किया जायेगा ।

7. चूंकि सामाजिक वानिकी कार्यक्रम जन अभिमुखी है जिसके प्रचार व प्रसार के लिये आवश्यकतानुसार कार्मिक एवं अन्य साधनों की आवश्यकता है । अतः प्रत्येक जिले में एक वन चेतना केन्द्र की स्थापना का प्रबन्ध है । □

बिहार में जोतों का उपविभाजन वैज्ञानिक काश्तकारी में बाधक

कृष्ण मुरारी सिंह 'किसान'

बिहार में कुल जनसंख्या का 87.3 प्रतिशत 67,566 गांवों में निवास करता है। गांव के अधिकतर लोग खेती पर निर्भर करते हैं। 174 लाख हैक्टेयर के भौगोलिक क्षेत्र में 115 लाख हैक्टेयर खेती योग्य भूमि है किन्तु अभी कुल 85 लाख हैक्टेयर में ही खेती होती है। शेष भाग या तो जंगलों से भरा परती है या खेती के लायक नहीं है। जो जमीन खेती के लायक है वह तेजी से टुकड़ा-टुकड़ा होती जा रही है। कारण संयुक्त परिवार का विघटन है। लोग खेत को चक में बांटने के बजाये छोटे-छोटे टुकड़े को और छोटे-छोटे टुकड़ों में बांटकर खेत को इस लायक बना देते हैं कि खेत का रकबा 5-10 कट्ठे से ज्यादा नहीं रह पाता। बिहार के गांव के खेतों को अगर देखें तो पता चलता है कि 80 प्रतिशत खेत के टुकड़े 5 कट्ठा (लगभग 17 डिसमल) से ज्यादा नहीं हैं। अगर किसी किसान के पास दो बीघे जमीन है तो वे टुकड़े-टुकड़े चारों तरफ फैले हैं। खेत के टुकड़ों का इस प्रकार का बंटवारा वंशानुगत है। लोग बाप-दादे के लीक पर चलते आ रहे हैं। इस परम्परा को कोई बदलना ही नहीं चाहता। सरकार चाहती है खेतों को चक करना लेकिन गांव वालों के असहयोग के कारण सफलीभूत नहीं हो पाता। गांव में खेत के टुकड़े इस प्रकार बढ़ते जा रहे हैं कि कुछ दिनों में खेत का आकार 'कैरमबोर्ड' के शक्ल में होगा। अतः बिहार के गांव देश के गांवों की तुलना में पिछड़ेपन में अग्रणी हैं।

राज्य की कृषि योग्य भूमि का लगभग 26 प्रतिशत क्षेत्र ही सिंचित है। बाकी मानसून की आशा-भरोसा पर है। राज्य के 50 प्रतिशत खेती योग्य भूमि में भूगर्भ जल इतने मात्रा में उपलब्ध हैं कि सालों भर सिंचाई मजे से की जा सकती है। नलकूप गाड़ने में खर्च अधिक पड़ता है। अतः खेत बड़ा होना आवश्यक है। छोटे-छोटे खेतों में बोरिंग अलाभकर सिद्ध होता है। इसलिए किसान इस लाभ से वंचित रहकर इन्द्र भगवान की पूजा करते हैं।

गांव में बेरोजगारी की समस्या खेतों के विखंडित होने के कारण भी बढ़ी है। खेतों के टुकड़े होने के कारण वैज्ञानिक विधि से सालों भर फसल लेना संभव नहीं होता है। एकाध फसल के बाद ग्रामीणों का समय बेकार चला जाता है।

बिहार में दो कृषि विश्वविद्यालय हैं, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा (समस्तीपुर) और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके (रांची)। इन दोनों कृषि विश्वविद्यालयों ने काफी शोध किये हैं जो सराहनीय हैं। लेकिन इनके मार्गदर्शन गांव में उतर नहीं पाते। ट्रैक्टर, बोरिंग एवं अन्यान्य कृषि यंत्रों का उपयोग छोटे खेतों में संभव नहीं।

"सूखी खेती (ड्राई फार्मिंग) तकनीक भी बड़े खेतों में ही ठीक से उतर पाती है। अतः गांव की खेती प्राचीन ढांचे पर ही चल रही है, जो बिहार जैसे जनसंख्या बाहुल्य राज्य के लिए अभिशाप है।

सरकार ने जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् 'भूमि सुधार' कानून पास किए। उन कानूनों का उद्देश्य खेतों की चकबंदी करना भी है। बिहार के कई जिलों में चकबंदी लागू की गई लेकिन गांव वालों के मुकद्दमेबाजी के चलते सफल नहीं हुई है।

समाज का कोई भी कार्य सिर्फ सरकार के बलबूते ही संभव नहीं। जिन्हें सीधा लाभ होगा उन्हें भी सोचना चाहिए। भूमि विकास बैंक खेत को चक करने में आर्थिक मदद करते हैं। गांव के किसान अगर चाहें तो बिना सरकारी सहायता के भी एक दूसरे से भांज बैठाकर बिखरे खेतों को एक जगह कर सकते हैं। देश ने जहां भी खेती में विकास किया है, चकबंदी होने के बाद ही किया है।

किसान की श्रेष्ठता के सम्बन्ध में घाघ कवि का कहना है कि ....

"बीघा बायर बोय, बाँध जो होय बँधाये।"

अर्थात् वही सच्चा किसान है जिसके पास बोने के लिए अच्छे-अच्छे लम्बे या एक ही जगह खेतों के प्लाट (बीघों) हों। महाकवि के इस कथन को हर किसान अपनावे तो वैज्ञानिक खेती बाधक नहीं साधक सिद्ध होगी। □

पुस्तकालयाध्यक्ष,
कृषि पुस्तकालय,
ग्राम-बरमा, पोस्ट-सिरारी-811107
जिला—मुंगेर (बिहार)

सूखे का सफलतापूर्वक सामना करता हुआ राजस्थान

सर वाल्टर स्काट ने अरब की तपती रेत को अमर बना दिया । लेकिन पश्चिमी राजस्थान के थार के रेतीले व बनते बिगड़ते टीलों, उड़ती रेत तथा सांय-सांय करती गर्म हवा पर किसी ने कविता नहीं लिखी । जहां सूखा और अभाव का निरन्तर साम्राज्य रहता है, जहां वर्षा लोगों के लिए मात्र एक सुखद स्वप्न है । प्रत्येक पांच वर्षों में से तीन वर्ष बिना वर्षा के होते हैं ।

इस वर्ष धौलपुर के अतिरिक्त राजस्थान के कई जिलों में सूखे के कारण अभाव की स्थिति है । राज्य में 38129 गांव हैं जिनमें से 26859 गांव में फसल को भारी क्षति पहुंची है जिसके परिणामस्वरुप खाद्य एवं चारे की कमी हो गई है ।

राज्य को अभाव की स्थिति में जिस संकट का सामना करना पड़ रहा है उसे ध्यान में रखते हुए ही केन्द्र सरकार ने राहत कार्यों के संचालन के लिए 58.8 करोड़ रुपये स्वीकृत किये हैं । राजस्थान में 26859 गांव में फसल के निरीक्षण के आधार पर 219 लाख लोग और 365 लाख पशु अभाव ग्रस्त घोषित किये गये हैं । इन गांवों में 30 सितम्बर, 1986 तक राजस्व की वसूली निलम्बित कर दी गई है । लघु अवधि के ऋणों को मध्यम अवधि के ऋणों में परिवर्तित कर दिया गया है । सितम्बर, 1986 के अन्त तक लघु अवधि के ऋणों की वसूली भी रोक दी गई है ।

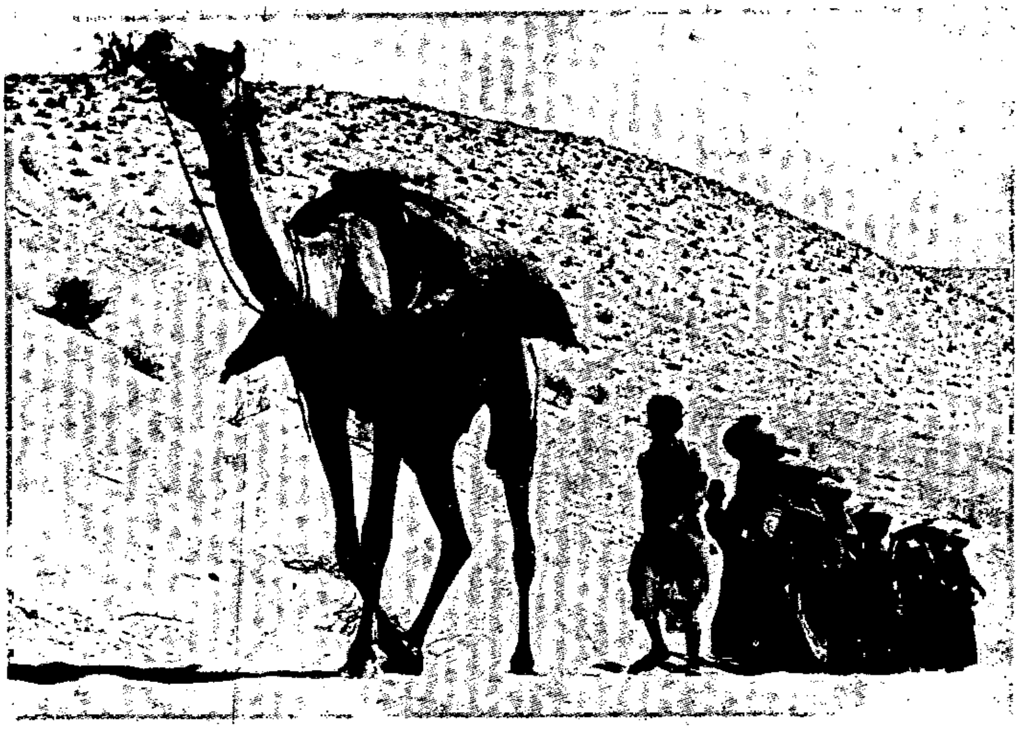

पीने का पानी ऊंटों द्वारा दूर-दूर से लाया जाता है

पेय जल

1100 गांवों में पेयजल का भंयकर संकट पैदा हो गया है । जल स्तर बहुत नीचे पहुंच गया है । अत: वहां कुएं सूख गये हैं । इन गांवों में पानी टैंकरों, ऊंट गाड़ी और बैलगाड़ी की सहायता से पानी की आपूर्ति की जा रही है । केन्द्र सरकार से मिली वित्तीय सहायता से राज्य सरकार ने 100 अतिरिक्त पानी के टैंकरों का इन्तजाम किया है । पेयजल स्रोतों के विकास को प्राथमिकता दी गई है । चालू वर्ष में केन्द्र सरकार ने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वित्तीय सहायता 162 लाख रुपये बढ़ा दी है । 1985-86 में केन्द्र द्वारा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 207 लाख रुपये दिए गये थे । केन्द्र सरकार ने ग्रामीण जल पूर्ति योजनाओं के द्वारा प्रतिदिन प्रति व्यक्ति पानी की सप्लाई 40 लीटर से बढ़ाकर 70 लीटर तक करने के लिए अधिक सहायता देने का आश्वासन दिया है । केन्द्र सरकार मौजूदा सार्वजनिक कुओं को गहरा करने के लिए 10 रिग और अन्य उपकरणों की आपूर्ति कर रहा है । इस वर्ष जैसलमेर में सघरू जलाशय इंदिरा गांधी नहर के पानी से भर दिया गया है । इस क्षेत्र में सेवान घास उपलब्ध है इसलिए इस वर्ष इस क्षेत्र से भारी संख्या में पशुओं के पलायन को रोका जा सका है ।

राहत कार्य

सभी सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में स्थायी उपयोगिता वाले राहत कार्य शुरु किए गए हैं । पंचायतों और सरकारी विभागों द्वारा चलाए जा रहे इन कार्यों के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति, लघु एवं सीमान्त किसानों और भूमिहीन श्रमिकों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है । राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों सहित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लगभग 12 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है । पेयजल स्रोतों का विकास, सिंचाई कार्य, भूमि संरक्षण, वानिकी, सड़क एवं पुलिया निर्माण आदि का कार्य प्रगति पर है । लगभग 10 हजार सार्वजनिक इमारतों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है । हजारों स्कूल इमारतों, औषधालयों और पंचायत कार्यालयों का निर्माण कार्य जारी है । इन कार्यों का निर्माण पूरा होने के साथ ही 4000 कि.मी. सड़कें, 75 हजार हैक्टेयर भूमि में सिंचाई, 100000 हैक्टेयर वानिकी क्षेत्र में वृक्षारोपण का काम पूरा हो जायेगा । इन कार्यों के लिए भारत सरकार ने 1985-86 में अग्रिम योजना सहायता के अन्तर्गत 13.31 करोड़ रुपये और चालू वर्ष के लिए 38.36 करोड़ रुपये दिए हैं ।

सूखे की चपेट में आये पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था

पशुओं के लिए सहायता

राज्य सरकार पशुओं के मालिकों को रियायती दर पर चारा उपलब्ध करा रही है। चारे के भाड़े की राशि का भार भारत सरकार उठा रही है। अभी तक 4.5 लाख क्विंटल चारे का वितरण किया जा चुका है। पंचायतों और संगठनों के चारे की वसूली के लिए ब्याज रहित ऋण दिया गया है। भारत सरकार ने 313.5 लाख रुपये पशुओं के बचाव के लिए स्वीकृत किये हैं। सरकारी विभागों और स्वयं सेवी संगठनों को इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में चारे की खेती के लिए प्रोत्साहित किया गया है। परिवार और उपेक्षित जानवरों की सुरक्षा के लिए शिविर भी खोले गये हैं। शिविरों के प्रत्येक पशु की देख रेख के लिए डेढ़ रुपये दिये जाते हैं। गौशालाओं को भी इसी दर से सहायता दी जा रही है। इससे लगभग तीन लाख पशुओं को लाभ पहुंचा है। प्रत्येक पशु के लिए दो किलो संतुलित चारा उपलब्ध कराया जाता है।

गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं और शिशुओं की सुरक्षा के लिए भी कई कदम उठाए गये हैं। भारत सरकार ने इन्हें पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए 150 लाख रुपये और निशुल्क दवाओं की आपूर्ति के लिए 50 लाख रुपये स्वीकृत किये हैं।

राजस्थान कठिन दौर से गुजर रहा है। लेकिन केन्द्र द्वारा प्राप्त उदार सहायता के कारण राज्य सरकार सूखे का बड़ी मजबूती व कुशलता से सामना कर रही है और उसे इसमें सफलता भी मिल रही है। मनुष्य एवं जानवरों का वार्षिक ग्रीष्म पलायन इस वर्ष नहीं हुआ। सूखे से लड़ने के लिए उठाये गये विभिन्न सफल कार्यक्रमों की बदौलत सूखा, बीते समय का एक दुस्वपन मात्र बन कर रह जायेगा। जैसे कि बुद्ध ने कहा है, "रेगिस्तान भी खिलेगा।" □

धर्म युद्ध

समग्र ग्रामीण विकास के लिए
जूझते हुए लोगों को देखकर भी
स्थितियों से कब तक नजरें चुराते रहोगे
मेरे तथा कथित बुद्धि जीवी मित्र !
क्या तुम सिर्फ बहस करने के लिए ही हो
तर्कों के प्याज छीलना ही
तुम्हारी असली नियति रह गई है क्या !
नहीं ! जरा अपने आपको देखो
अपने आस पास के बदलाव को परखो
वक्त के तकाजों को समझो !
विघटनकारी तत्वों से छिड़े
इस विकास के लिए समर्पित
धर्मयुद्ध से क्यों कतरा रहे हो !
अरे तुम भी तो हो सिपाही इसके
क्योंकि आज सारा देश अपना लाभ पर है
अज्ञान, निर्धनता, निरक्षरता के विरुद्ध
छेड़ा गया संघर्ष
सामाजिक-आर्थिक पुनर्रचना का युद्ध है।
उठो ! विवेक से फैसला करके
लग जाओ नव निर्माण में लगे
कोटि कोटि हाथों के साथ।
क्यों कि हम सबको
समग्र ग्रामीण विकास के हित
कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए
श्रमसीकर बहा बहाकर
जारी धर्मयुद्ध जीतना ही है।
व्यर्थ है इनका या उनका कार्यक्रम
है यह हम सबका कार्यक्रम
इसको फतह का डंका बजने तक
हमें क्रियान्वित करना है।
शब्दों में कम, जीवन व्यवहार में अधिक
पूरी ईमानदारी से लागू करना ही है।
जब तक गरीबी 'अलविदा'
नहीं कहती
आत्मनिर्भरता हर घर में नहीं उभरती
तब तक यह धर्मयुद्ध लड़ना है।
कर्मण्यता का पाठ पढ़ते रहकर
हर आंख में खुशी उभरने तक
श्रमसीकर का अर्घ्य देना है।

दुर्गाशंकर त्रिवेदी

राजस्थान के पशु मेले

दिनेश कुमार माथुर

मनोरंजन, क्रय-विक्रय और सार्वजनिक समारोह की दृष्टि से हमारे देश में मेले-तमाशों का बड़ा महत्व है ।

भारत गांव और किसानों का देश है और किसान के जीवन में पशु का भारी महत्व है । वास्तव में पशु किसान की अर्थ व्यस्था का मुख्य आधार है ।

पशु मेलों की परम्परा में आमतौर पर तीन तरह के पशु मेले आयोजित किये जाते हैं । अखिल भारतीय स्तर के पशु मेले जिनमें देश के सभी भागों से पशुपालक अपने पशुओं के साथ पहुंचते हैं, प्रादेशिक मेले जिनमें प्रदेश विशेष के ही पशु आते है और स्थानीय मेले।

राजस्थान राज्य में प्रतिवर्ष 300 से अधिक छोटे-बड़े पशुमेले आयोजित होते हैं । इनमें से दस मेले प्रदेश स्तर के होते हैं । प्रदेश स्तर के मेलों का आयोजन पशुपालन विभाग द्वारा किया जाता है । राज्य स्तरीय पशुमेलों के आयोजन से 50 करोड़ रुपये की हाट व्यवस्था जहां पशुपालकों को प्रतिवर्ष उपलब्ध होती है वहां पशुपालन विभाग को 12 लाख रुपये की आय होती है ।

राज्यस्तरीय पशुमेले

राज्यस्तरीय पशु मेलों में श्री रामदेव पशुमेला नागौर में प्रतिवर्ष माघ शुक्ला ग्यारस से फाल्गुन कृष्णा पंचमी तक आयोजित किया जाता है । इस मेले में नागौरी नस्ल के गोवंश आते हैं । नागौरी नस्ल के पशुओं के ही अन्य राज्यस्तरीय श्री बलदेव पशु मेले नागौर जिले के मेड़ता सिटी में चैत्र शुक्ला पूर्णिमा से वैशाख कृष्णा छट तक तथा परबतसर में श्री वीर तेजाजी पशुमेला श्रावण शुक्ला पूर्णिमा से भाद्र कृष्णा अमावस्या तक आयोजित किये जाते हैं ।

सवाई माधोपुर जिले के करौली कस्बे में हरियाणा नस्ल की गोवंश के लिये फाल्गुन कृष्णा छट से चतुर्दशी तक श्री शिवरात्रि पशुमेला तथा गंगानगर जिले के गोगामेडी में श्री गोगामेडी पशुमेला श्रावण शुक्ला पडवा से भाद्र शुक्ला 15 तक आयोजित किये जाते हैं । भरतपुर में आश्विन शुक्ला 5 से 14 तक आयोजित जसवन्त पशुमेले में भी हरियाणा गोवंश के पशु अधिक संख्या में आते हैं ।

गोमती सागर पशुमेला का आयोजन झालावाड़ जिले, झालरापाटन कस्बे में प्रतिवर्ष वैशाख शुक्ला 13 से ज्येष्ठ शुक्ला 15 तक होता है । यहीं कार्तिक शुक्ला 11 से माघ कृष्णा 5 तक चन्द्रभाग पशुमेले का आयोजन भी किया जाता है । इन दोनों मेलों में मालवी नस्ल के गोवंश प्रमुखता से आते हैं । बाड़मेर जिले के तिलवाड़ा कस्बे में चैत्र कृष्णा 11 से शुक्ल 11 तक आयोजित मल्लीनाथ पशुमेले में थारपारकर एवं कांकरेज नस्ल के पशु आते हैं ।

कार्तिक शुक्ला 6 से माघ कृष्णा 2 तक प्रतिवर्ष अजमेर जिले के पुष्कर कस्बे में पशुमेले का आयोजन किया जाता है । इस पशु मेले में अधिकांशतः गिर नस्ल के गोवंश आते हैं एवं घोड़ों के लिये भी यह मेला प्रसिद्ध है ।

मेलों का महत्व

मेलों के माध्यम से पशु-नस्ल सुधारने में भी योगदान मिलता है । मेलों में उन्नत नस्ल के पशु लाये जाते हैं जिन्हें किसान खरीद कर ले जाता है । इसके माध्यम से नस्ल सुधारने का काम चलता रहता है और घटिया पशु घटते जाते हैं । इनके अतिरिक्त मेलों में प्रतियोगिताओं का आयोजना करा कर पशुओं की नस्ल सुधारने और उन्हें स्वस्थ रखने के लिये भी प्रोत्साहित किया जाता है ।

मेलों के माध्यम से पशुपालक एक दूसरे के सम्पर्क में आकर और एक दूसरे से सहायता एवं परामर्श लेते हुए अपनी समस्याओं को हल भी कर लेता है । पशु पालन विभाग द्वारा भी मेलों के अवसर पर पशुओं के नस्ल सुधार, चिकित्सा एवं रखरखाव से सम्बन्धित जानकारी भी उपलब्ध करवाने के लिए अनेक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं ।

एक अच्छे पशु मेले के आयोजन के लिये, जिसमें अधिक से अधिक पशुपालक भाग लें, इसके लिये यह आवश्यक है कि वहां पशुओं के क्रय-विक्रय की व्यवस्था ठीक हो । मेला व्यवस्थापकों को ठहरने की उचित व्यवस्था तथा पास ही उचित दर पर चारा और खाने-पीने की व्यवस्था सुलभ कराई जानी चाहिए । □

क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी
क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय
भारत सरकार, सवाई माधोपुर

ग्रामीण युवाओं की आशाओं का केन्द्र युवक कल्याण कोष समिति

भुवनेश जैन 'भानु'

बार -बार की अनावृष्टि से जहां राजस्थान के पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्र के बाड़मेर जिले के ग्रामीण युवक आर्थिक एवं मानसिक दृष्टि से टूटते जा रहे हैं, वहां सामान्य मौसम में भी कृषि, पशुपालन, मेड़-पालन व कृषि आधारित उद्योगों एवं कुटीर उद्योगों के सम्बन्ध में उचित निर्देशन एवं परामर्श के अभाव में वे अपने ही क्षेत्र में पिछड़ते जा रहे हैं। अशिक्षित ग्रामीण युवकों की इन समस्याओं के निराकरण हेतु तथा जिले के अभावग्रस्त शिक्षित युवाओं की प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए आर्थिक सहायता देने हेतु, संगीत, नृत्य एवं नाटक के क्षेत्र में प्रोत्साहन हेतु, शैक्षणिक यात्राओं की व्यवस्था करने हेतु, युवाओं में साहित्यिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक लेखन कार्य एवं नये रोजगार की सुविधाएं प्रदान कर आत्म निर्भर बनने हेतु भारत सरकार के युवा कार्य एवं खेल विभाग के नेहरू युवा समन्वयक डा. मगराज जैन ने जिला युवक कल्याण कोष समिति की स्थापना 1973 में की थी। यह समिति अपने उद्देश्यों को प्राप्त करती हुई आज युवाओं की आशाओं का केन्द्र बन गई है।

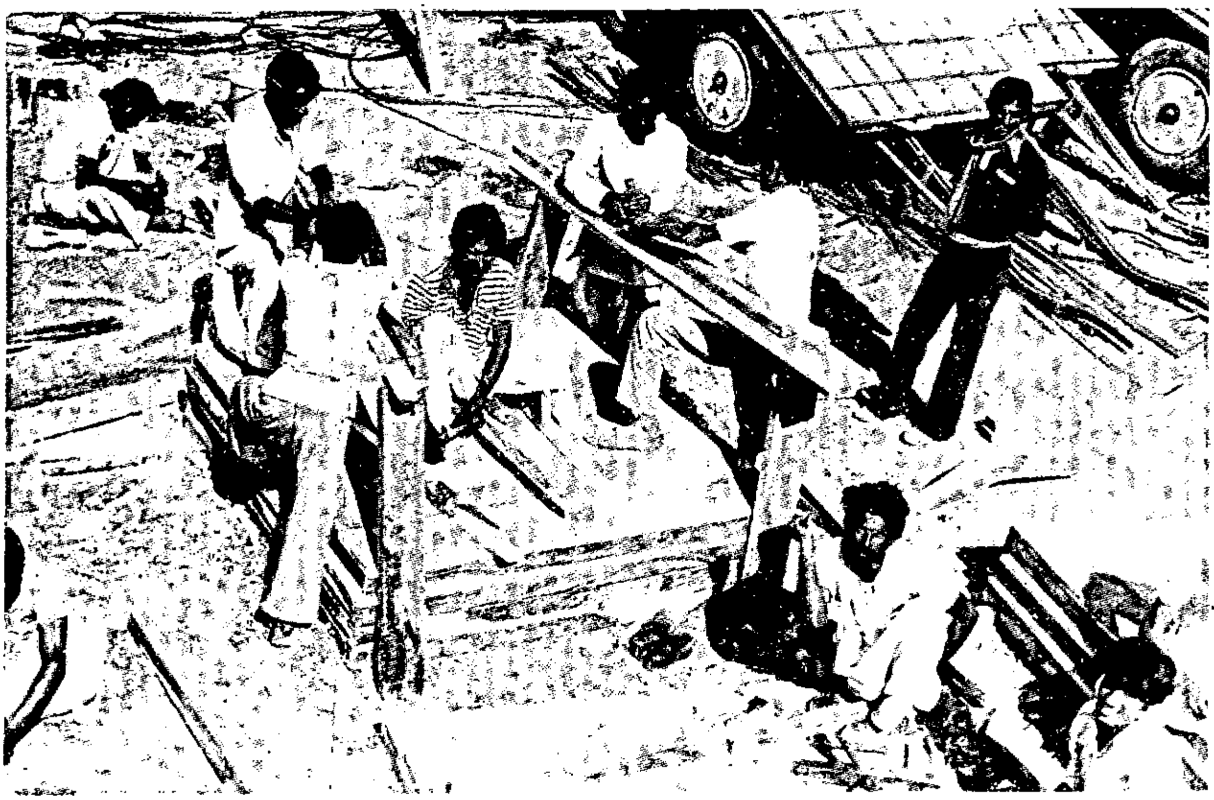

ऊंट गाड़े कारखाने का एक विहंगम दृश्य

समिति की स्थापना के समय जिले में टंकण प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं थी। शहरी एवं ग्रामीण युवकों को टंकण-प्रशिक्षण लेने हेतु जोधपुर, अजमेर एवं जयपुर जाना पड़ता था। अभावग्रस्त युवा अन्य शहरों में जाकर प्रशिक्षण ले पाने में असमर्थ

ऊंट गाड़े निर्माण में व्यस्त कुशल हाथ

थे । राजस्थान भाषा विभाग के सहयोग से युवक कल्याण कोष समिति ने हिन्दी, अंग्रेजी की 30 टंकण मशीनों की व्यवस्था की तथा निम्नतम शुल्क में शहरी एवं ग्रामीण युवाओं को सफलता पूर्वक टंकण प्रशिक्षण देना आरम्भ किया । प्रति-वर्ष सौ टंककों को समिति तैयार करती है । अब तक 1200 युवाओं को टंकण में प्रशिक्षित किया गया है । जिसके कारण जहां युवाओं को रोजगार मिला है वहां जिले के सरकारी एवं गैर-सरकारी कार्यालयों के 900 रिक्त टंकक पदों की पूर्ति हुई है । इसके अतिरिक्त ट्राइसेम योजनान्तर्गत भी संस्था ने 1982-83 में 59, 1983-84 में 30, 1985-86 में 15 ग्रामीणों को टंकण का प्रशिक्षण दिया गया है । समिति की सफलता की यह महत्वपूर्ण सीढ़ी थी ।

समिति ने 1977 से 1980 तक मूर्ति निर्माण का प्रशिक्षण केन्द्र भी शुरु किया, जिसमें 86 शहरी एवं ग्रामीण युवा लाभान्वित हुए । मूर्तियां प्लास्टर ऑफ पेरिस की होती थीं तथा सांचों में बनाई जाती थीं । मूर्तियों के सूख जाने पर रंग करने का प्रशिक्षण भी दिया जाता था । इसके कारण जहां जिले में मूर्ति कला को प्रोत्साहन मिला वहां युवक आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हुए ।

इस जिले में प्रति वर्ष 9 लाख किलो ग्राम भेड़ की ऊन का उत्पादन होता है । प्रत्येक भेड़ प्रति वर्ष औसतन एक किलो ऊन पैदा करती है । इसी बात को ध्यान में रखते हुए समिति के सचिव एवं युवा समन्वयक श्री मगराज जैन के प्रयासों से 50,000 रुपये आक्सफार्म इण्डिया ट्रस्ट से समिति को प्राप्त हुए । इसमें 25000 रुपये संस्था ने जिले के रामसर क्षेत्र में पांच टांकों के निर्माण हेतु पांच ग्रामीणों को 5-5 हजार रुपये बिना ब्याज ऋण के रुप में दिये हैं । इस प्रत्येक टांके के मालिक से हजार रुपये ऋण अदायगी संस्था को प्रतिवर्ष प्राप्त होती है, यानि-कि संस्था को पांच हजार रुपये प्रति वर्ष पुनः ऋण लेने वालों से प्राप्त हो जाते हैं, संस्था फिर यह ऋण टांके निर्माण हेतु अन्य को देती है । इस प्रकार प्रति वर्ष टांके का निर्माण चल रहा है, अब तक सात टांकों का निर्माण हो चुका है, जिससे ग्रामीण लोगों एवं पशुओं के पानी की समस्या समय-समय के लिए हल हो जाती है । टांके निर्माण का क्रम चलता रहेगा ।

उधर शेष रहे 25000 रुपये की संस्था ने लूमें खरीद ली हैं और गलीचा प्रशिक्षण केन्द्र बाड़मेर, भूणिया, रामसर, बिशाला, सुरा एवं बायतु में आरम्भ कर दिया है। इस प्रशिक्षण में संस्था को जिला-ग्रामीण विकास अभिकरण भी पूरा सहयोग कर रहा है। अब तक संस्था ने 1983-84 में 41, 84-85 में 55 तथा 85-86 में 72 कुल 168 लोगों को प्रशिक्षण दे दिया है। ये युवा अब प्रति दिन 20 रुपये से 60 रुपये तक कमा लेते हैं। युवा समन्वयक श्री मगराज जैन ने एक भेंट में बताया कि जिले में प्रति वर्ष नौ लाख के.जी. ऊन का उत्पादन होता है, ऊन को बीकानेर में बेच दिया जाता है। यू.पी. का मदाऊ गांव पूरा का पूरा गलीचे के धंधे में लगा हुआ है और प्रत्येक लखपति है। यदि सरकार भी इस जिले में केवल गलीचे उद्योग पर ही ध्यान दे दे तो अकाल से निपटने एवं बेराजगारी की समस्या काफी हद तक हल हो सकती है।

इसी तरह संस्था ने जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के सहयोग से जिले के गिराब क्षेत्र के भूपार गांव में हथकरघा प्रशिक्षण भी प्रारम्भ किया। सन् 1983-84 में 29, 1984-85 में 27 तथा 85-86 में 10 ग्रामीणों को इसमें प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के बाद ये ग्रामीण प्रति दिन 10 रुपये से 15 रुपये तक कमा लेते हैं।

यही नहीं जिला युवक कल्याण कोष समिति को राजस्थान का विद्युत मशीनों से संचालित प्रथम ऊंट गाड़ा कारखाना संचालित करने का भी गौरव प्राप्त हुआ है। इस जिले में काफी मात्रा में ऊंट हैं। पर ऊंट गाड़े कम मात्रा में हैं। ग्रामीणों के लिये ऊंट गाड़े का उपयोग मिट्टी ढ़ोने, फसल ढ़ोने, पत्थर ढ़ोने, ईंधन ढ़ोने, पानी लाने तथा यात्रा करने में होता है। ऊंट गाड़ा ग्रामीण के पास होने से अकाल की स्थिति में उसका सहायक होकर रोजगार प्रदान करता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर संस्था ने बाड़मेर में ऊंट गाड़े का कारखाना सन् 1983 में शुरु किया। इस कारखाने में संस्था की स्वयं की एक लाख रुपये की पूंजी लगी हुई है तथा दो लाख राज्य सरकार से ऋण लेकर ऊंट गाड़ा कारखाना शुरु किया। यों तो राजस्थान में निजी क्षेत्र में लाडनूं तथा गंगानगर में छोटे-छोटे ऊंट गाड़ा कारखाने चल रहे हैं, परन्तु वे गाड़े को लकड़ी के टुकड़े-टुकड़े जोड़ कर बनाते हैं एवं घटिया किस्म की लकड़ी को काम में लेते हैं और तो और इस क्षेत्र के निवासियों को गाड़ा अपने गांव तक ले जाने में असुविधा तो रहती ही थी साथ में अनावश्यक पैसा भी बरबाद होता था। इन सभी कमियों को संस्था के इस कारखाने ने दूर किया है। प्रारम्भ में संस्था ने 15 युवकों को ऊंट गाड़े बनाने का प्रशिक्षण दिलाया, फिर कारखाना शुरु कर दिया। कारखाना तीन प्रकार के गाड़ों का निर्माण करता है। एक शालवा जो 35 सौ रुपये का, दूसरा टोडी वाला जो 32 सौ रुपये का है तथा तीसरा ऊंट गाड़ा लौरी 5000 रुपये का होता है। कारखाना-गाड़े हेतु काम आने वाली लकड़ी को गंगानगर, लाडनूं तथा गुजरात से खरीदता है तथा गाड़े निर्माण में काम आने वाली विद्युत मशीनों-आरा मशीन, रन्दा मशीन, कम्प्रेशन ड्रीलिंग, फर्नीचर नक्काशी मशीन आदि को महाराष्ट्र से खरीदता है। कारखानों में करीबन 30 ग्रामीण युवा कार्य कर रहे हैं। जिन्हें प्रतिदिन 50 रुपये तो मजदूरी के मिलते ही हैं साथ में आवास की सुविधा भी मुफ्त है। संस्था ने कारखाना 1983 में शुरु किया था। जो अब तक 20 लाख रुपये के 6 सौ ऊंट गाड़ों का निर्माण कर उन्हें चयनित परिवार के लोगों को विशेष तौर पर वितरित कर चुका है। इन चयनित परिवारों को थार आंचलिक बैंक ऋण की सुविधा भी उपलब्ध कराती है। राजस्थान नहर में लगे हुए अधिकांश ऊंट गाड़े इस कारखाने द्वारा निर्मित हैं।

इसके साथ ही संस्था ने पानी की टंकियों का निर्माण कार्य भी शुरु किया है। अब तक 30 टंकियों का निर्माण हो चुका है। इन टंकियों को न्यूनतम दाम पर संस्था ग्रामीणों को उपलब्ध करवाती है।

गूंगे बहरे व्यक्तियों के लिए संस्था ने लकड़ी की खुदाई नक्काशी का प्रशिक्षण केन्द्र भी शुरु किया जिसमें अब तक 12 लोग लाभान्वित हो चुके हैं।

इन रोजगार शिक्षण-प्रशिक्षण के अलावा संस्था आर्थिक दृष्टि से अभावग्रस्त ग्रामीण एवं शहरी युवाओं को प्रतिवर्ष पुस्तकें, कपड़े एवं अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाती है। शैक्षणिक यात्राओं हेतु युवाओं को प्रोत्साहन एवं सहायता देती है। हाल ही में "रेत टीलों से बर्फ के पहाड़ों तक" यात्रा के अन्तर्गत जिले के 15 युवाओं को सहायता दी है। साहसिक साइकिल यात्रा तो प्रति वर्ष संस्था करवाती ही है, अपने अल्प साधनों एवं अल्प समय में जिला युवक कोष समिति ने जिले के युवकों को नया आयाम दिया है। भविष्य में संस्था की जिले में एक बड़ा छात्रावास निर्माण एवं 300 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चलाने की योजना भी है। □

भानु भवन
वास-तेलियान
नियर रामद्वारा
बाड़मेर (राज.)
344001

गरीबी हटाने के प्रति सरकार वचनबद्ध

त्रिलोक सिंह जयन्त

भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं का दोहरा उद्देश्य है। गांवों के गरीबों की गरीबी हटाने के कार्यक्रमों में राज्यों के ग्रामीण विकास विभागों तथा अन्य एजेंसियों को हर सम्भव योग व सहायता देना और गरीबी खत्म करने के कार्यक्रमों को इस प्रकार कार्यान्वित करने में राज्यों और गरीबी निवारण कार्यक्रम में संलग्न एजेंसियों को हर सम्भव सहायता देना जिससे गांवों के चहुंमुखी विकास को बढ़ावा मिले। इसके लिए कृषि मंत्रालय के ग्रामीण विभाग द्वारा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की योजना चलाई जा रही है।

गरीबों को सीधे लाभ पहुंचाकर गरीबी हटाने के लिए छठी योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम एक मुख्य कार्यक्रम था। यह जनता के निर्धनतम वर्गों के लोगों तक विकास एवं प्रगति के लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से तैयार किया गया था। निर्धन ग्रामीणों को सीधे लाभ पहुंचाने के लिए अपनायी गयी नीति के अन्तर्गत चयन किए गए निर्धनतम परिवारों को आर्थिक सहायता तथा ऋण के मिले-जुले माध्यम से उत्पादक साधन सुलभ किए जाते हैं। इससे उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ती है, उपभोक्ताओं के उपभोग का स्तर ऊंचा होता है, फलस्वरुप निर्धन परिवार निर्धनता की रेखा को पार करने में समर्थ हो जाता है।

यह कार्यक्रम निस्संदेह बहुत अच्छा है परन्तु उसी हालत में जबकि सहायता के लिए चयन ईमानदारी से उन्हीं लोगों का हुआ हो जो उसके पात्र हैं, मंजूर सहायता और ऋण पूरे-पूरे मिले हों और जो सहायता तथा ऋण मिलें उनका उपयोग सुविचारित व सुनियोजित रुप में उसी कार्य योजना पर किया गया हो जिसके लिए वे मंजूर हुए हैं। इन सभी चरणों पर समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के सही क्रियान्वयन के लिए यह जरुरी है कि निर्धन लोगों के गांव-गांव में संगठन हों और इन संगठनों की नियमित रुप से बैठकें हों जिनमें इन्हें निर्धनों के लाभार्थ चलाई गई योजनाओं के बारे में पूरी-पूरी जानकारी देने की व्यवस्था हो। प्रत्येक संगठन को आवश्यक जानकारी संबंधी मुद्रित सामग्री भी मुहैया की जाए।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के निर्धन परिवारों को सहायता पहुंचाने संबंधी आंकड़े उत्साहवर्द्धक हैं। छठी योजना में 165.6 लाख निर्धन परिवारों को सहायता पहुंचाई गयी, जिसमें से 64.5 लाख परिवार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के थे। इसके लिए सरकार ने बजट संसाधनों से 1661.39 करोड़ रुपये व्यय किए और 3100.35 करोड़ रुपये आवधिक ऋण के रुप में जुटाए। ये सभी उपलब्धियां निर्धारित लक्ष्यों से कहीं अधिक थीं। अगर गरीबों के संगठन होते तो उपलब्धियां और भी अधिक तथा कारगर होतीं और समय-समय पर लिए गए जायजा और मूल्यांकनों के फलस्वरुप क्रियान्वयन सम्बन्धी जो खामियां सामने आईं वे न होतीं। गरीबों के ये संगठन या समितियां इस कार्यक्रम के उद्देश्य, सबसे गरीब व्यक्ति को सीधे सहायता पहुंचाने, सुनिश्चित रुप से सही लाभार्थी का चयन करने, ग्राम सभा को परिवारों की पड़ताल में योग दें। क्योंकि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत केवल वही परिवार सहायता प्राप्त करने के हकदार माने जाते हैं जिनकी सालाना आमदनी 3500 रुपये से अधिक न हो। इसके अलावा, यदि संभावित लाभार्थी के पास जमीन है, तो उसके पास 5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं होनी चाहिए। सिंचित भूमि तथा सूखाग्रस्त क्षेत्र के आधार पर इस सीमा में घट-बढ़ हो सकती है।

गरीबों के संगठन लाभार्थी के चयन पर विचार-विमर्श कर उसकी

रुचि के अनुसार लाभप्रद योजना का पता लगाने में मदद करें ताकि आर्थिक सहायता व ऋण की व्यवस्था करके उत्पादक साधन दिलाया जा सके । इन साधनों में पशुधन, मुर्गियां, छोटे-छोटे उद्योग धंधों जैसे साइकिल मरम्मत की दुकान, चाय की दुकान आदि की स्थापना के लाभदायक काम हो सकते हैं, अथवा खेती-बाड़ी से सम्बन्धित काम जैसें लघु सिंचाई, भू-संरक्षण, सामाजिक वानिकी आदि के लाभप्रद काम किए जा सकते हैं । विभिन्न श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए आर्थिक सहायता की राशि भिन्न-भिन्न होती है । कोई छोटा किसान अपनी परियोजना पर 25 प्रतिशत तक आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकता है । इसी तरह सीमान्त किसान और खेत मजदूर 33-1/3 प्रतिशत आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकता है । अनुसूचित जनजाति के लोग अपनी परियोजना की लागत का 50 प्रतिशत तक आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं । कुछ राज्यों में अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिए आर्थिक सहायता की राशि को बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक कर दिया गया है, साथ ही विशेष घटक योजना के माध्यम से बकाया 16-2/3 प्रतिशत तथा 35 प्रतिशत राशि जैसी भी स्थिति हो, सुलभ की जाती है । कार्यक्रम के लिए ऋण, प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण सुलभ करने वाली संस्थाओं के रुप में वाणिज्यिक, क्षेत्रीय, ग्रामीण और सहकारी बैंकों के माध्यम से उपलब्ध किया जा रहा है । ये सारी जानकारी गरीबों के संगठनों को दी जानी चाहिए और संगठन अपनी बैठकों में सब गरीबों को ये सब जानकारी दें । आर्थिक सहायता व ऋण में किसी भी स्तर पर भ्रष्टता बरती गई हो तो गरीबों के संगठनों को उसकी रिपोर्ट जिस स्तर पर भी करना चाहे उसकी अनुमति उन्हें होनी चाहिए ।

वाणिज्यिक बैंकों से आशा की गई है कि वे 10 प्रतिशत की दर पर ऋण सुलभ करें तथा उनके पूरे कर्ज का एक प्रतिशत, 4 प्रतिशत ब्याज की विशिष्ट दरों पर हो । लाभार्थियों को 5000 रुपये की सीमा तक ऋण प्राप्त करने के लिए किसी समर्थक (जामनी) की आवश्यकता नहीं होती ।

बेहतर संवितरण सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर जिला ग्रामीण विकास एजेंसी स्थापित की गई है । यह एक पंजीकृत संस्था है और कार्यक्रम के हित में अधिक स्वायत्तता से कार्य कर सकती है । जनता के लोगों को अधिक से अधिक शामिल करने के लिए जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के शासी निकाय में संसद सदस्यों और विधायकों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है । लाभार्थियों का चयन करने तथा कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी करने में विभिन्न राज्यों में कार्यरत पंचायती राज संस्थाओं को शामिल किया जाता है । गांवों में व्याप्त आर्थिक विषमता, प्रगति प्रतिकूल सामाजिक संरचना और पुराने तथा पीछे खदेड़ने वाले रीति-रिवाजों के रहते पंचायत गरीबी निवारण में कोई विशेष योग नहीं दे पाई है । पंचायतों में गरीबी निवारण की भावना होती तो आज इतने गरीब क्यों होते । पंचायतें हमारे देश में प्राचीन काल से रही हैं । आज अपने नए रुप में भी हैं । लेकिन कितने प्रधान और सरपंच हैं जो गरीबों के बारे में योजनाएं गांव के स्तर पर बनाते हैं । अतः गरीबों के स्वयं के संगठनों के माध्यम से ही कार्यान्विति सही हो सकती है । पंचायतों में भ्रष्टता के अनेक मामले बताए, कहे और सुने जाते हैं ।

छठी योजना के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक खण्ड से 3000 परिवारों को लिए जाने की प्रत्याशा थी । कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रति व्यक्ति सुलभ की गई आर्थिक सहायता के आधार पर अब यह अनुभव किया गया है कि निर्धनता की रेखा से ऊपर उठने के लिए कई लाभार्थियों को पूरक सहायता की आवश्यकता होगी । अतः सातवीं योजना में इस बात पर काफी बल दिया जा रहा है कि जिन परिवारों को पहले सहायता पहुंचाई जा चुकी है, उनके लिए पूरक सहायता उपलब्ध करते हुए छठी योजना की उपलब्धियों को सुदृढ़ बनाया जाए । अतः सातवीं योजना के वित्तीय और भौतिक लक्ष्यों में पुराने लाभार्थियों को सुलभ की जाने वाली पूरक सहायता को शामिल किया गया है । चूंकि छठी योजना में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बहुत कम महिलाएं लाभ उठा पाई हैं, अतः सातवीं योजना अवधि में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं को अधिक अनुपात में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है । इस सम्बन्ध में कार्यक्रम में कम से कम 30 प्रतिशत महिलाओं को शामिल किये जाने का लक्ष्य पहले ही निर्धारित किया जा चुका है ।

ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण (ट्राइसेम)

"ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण (ट्राइसेम) कार्यक्रम एक अलग योजना के रुप में वर्ष 1979-80 में प्रारम्भ किया गया था, किन्तु छठी योजना अवधि के दौरान इसे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अनिवार्य भाग के रुप में कार्यान्वित किया गया था । इस कार्यक्रम का उद्देश्य समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लक्षित वर्गों में परिवारों के 18 से 35 वर्ष की आयु-वर्ग के युवाओं का चयन करना है, उन्हें चुने गये व्यवसायों में प्रशिक्षण देना है, ताकि वे उसकी सहायता से रोजगार के लिए अपना व्यवसाय शुरु कर सकें । कुछ अभिनिर्धारित परिस्थितियों में स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है । एक बार प्रशिक्षण पूरा कर लेने पर प्रशिक्षार्थी समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने का हकदार हो जाता है । वह परियोजना रिपोर्ट तैयार कराके ब्याज की रियायती दर पर ऋण और सहायता तथा कच्चा माल एवं विपणन सहायता प्राप्त कर सकता है । प्रशिक्षण औद्योगिक-प्रशिक्षण संस्थानों तथा बहु-शिल्पी संस्थानों जैसी राज्य सरकार की संस्थाओं अथवा मास्टर शिल्पकारी के माध्यम से दिया जाता है ।

प्रशिक्षार्थियों को वजीफा मासिक आधार पर दिया जाता है । यह इस बात पर आधारित होता है कि प्रशिक्षण प्रशिक्षार्थी के गांव में दिया जाता है अथवा यह उसके गांव से दूर दिया जाता है, जहां उसे नि:शुल्क आवास सुलभ किया गया हो अथवा कोई आवास सुलभ न किया जा सका हो । प्रशिक्षण समाप्त होने पर प्रशिक्षार्थियों को 500 रुपये तक एक औजार किट भी नि:शुल्क दिया जाता है । समन्वित ग्रामीण विकास के अन्तर्गत लाभार्थी जिस सामान्य आर्थिक सहायता का हकदार होता है, प्रशिक्षण से सम्बन्धित निवेश उनके अलावा होते हैं ।'' कहना न होगा कि गांवों में संगठनों का विशेषकर युवाओं के बीच अत्यधिक अभाव है । इसके अभावों में ग्रामीण युवक न केवल मारा-मारा फिरता है बल्कि ठगा भी जा रहा है । अत: 18 से 35 वर्ष के सभी ग्रामीण युवकों को चाहिए कि वे अपना संगठन धर्म, जाति, शिक्षा-अशिक्षा आदि बंधनों से ऊपर उठकर बनाएं जिनके जरिए वे बेरोजगारी पर तीन-तरफा चोट कर सकते हैं–जो ट्राइसेम के पात्र हैं उन्हें प्रशिक्षण दिलाएं रिक्त स्थानों (रोज़गार-समाचारों) की सूचना गांव में उपलब्ध कराएं, पंचायतों व अधिकारियों के माध्यम से और गांवों में ऐसे कोष स्थापित करें जिससे शेष बेरोजगारों को रोजगार दिलाने में योग मिले । ये लोग प्रौढ़ शिक्षा को भी बढ़ावा दे सकते हैं ।

''यह सुनिश्चित कराने के लिए कि महिलाएं अधिक संख्या में इस कार्यक्रम से लाभ उठा सकें, ट्राइसेम के अन्तर्गत कम से कम 33-1/3 प्रतिशत महिलाओं के लिए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं के आधारभूत ढांचों को सुदृढ़ करने के लिए ऐसी संस्थाओं को भी सहायता दी जाती है । संस्थाओं/मास्टर शिल्पकारों को प्रति प्रशिक्षार्थी हेतु प्रतिमाह 25 रुपये की दर से कच्चे सामान की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है. जो किसी भी पाठ्यक्रम के लिए 200 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए ।''

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं तथा बच्चों का विकास

''ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं तथा बच्चों का विकास'' योजना को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की एक उप-योजना के रुप में शुरु किया गया था और इसे देश के सभी 22 राज्यों के चुने हुए 50 जिलों में प्रायोगिक आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा है । कार्यक्रम का मुख्य बल ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धनता की रेखा से नीचे के परिवारों की महिलाओं पर है, उन्हें समूहों में संगठित करने पर है और उनमें ऐसी गतिविधियों की शुरुआत करने पर है, जिनसे उनकी आय में वृद्धि हो सके, उनमें अपनी समस्याओं के प्रति जागरुकता आ सके तथा वे सुविधाओं का लाभ उठा सकें ।''

''चालू वर्ष के दौरान 5.05 करोड़ रुपये के आबंटन का अनुमोदन किया गया है तथा 5000 समूहों को संगठित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है । अब इस कार्यक्रम का विस्तार केन्द्र शासित क्षेत्रों में भी कर दिया गया है ।'' ये संगठित समूह उपलब्ध अवसर का सदुपयोग कर आदर्श उपस्थित करें ताकि उनके संगठन सुदृढ़ से सुदृढ़ होते जाएं जिससे उनका शोषण रुके ।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धन ग्रामीणों को वर्ष के उन दिनों में जब काम की कमी रहती है, लाभप्रद रोजगार दिलाने के पूरक अवसर प्रदान किये जाते हैं । इसके द्वारा स्थायी सामुदायिक परिसम्पत्तियां सृजित की जाती हैं और निर्धन लोगों के पोषाहार-स्तर में भी सुधार लाया जाता है । निर्माण-कार्यों का निष्पादन मुख्यत: पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से होता है । ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अधीन प्रत्येक भूमिहीन श्रमिक परिवार के कम से कम एक सदस्य को एक वर्ष में 100 दिनों तक का रोजगार सुलभ कराया जाता है और इसके जरिए भी टिकाऊ स्वरुप की परिसम्पत्तियों का सृजन किया जाता है जिसके परिणामस्वरुप ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था का विकास हो । जैसे ग्रामीण सम्पर्क सड़कें, खेतों में सिंचाई की नालियां, भूमि विकास, परती जमीन को कृषि योग्य बनाना, सामाजिक वानिकी तथा जल संरक्षण । इस कार्यक्रम के अंतर्गत भूमिहीन श्रमिकों और उन में भी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों को तरजीह दी जाती है ।

इन दोनों कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रत्येक मजदूर को मजदूरी के भाग के रुप में प्रतिदिन एक किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाता है, गेहूं 1.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से और सामान्य किस्म का चावल 1.85 रुपये प्रति किलोग्राम तथा बढ़िया किस्म का चावल 2.10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से ।

इस प्रकार के शोषण से मजदूरों को अपने स्वयं के संगठन ही निजात दिला सकते हैं । जिला ग्रामीण विकास एजेंसी द्वारा परियोजना की रुपरेखा तैयार करने में ग्राम सभा की बैठक में समुदाय की वास्तविक आवश्यकताओं का पता लगाने में ये मजदूरों के संगठन सहायक होंगे और कार्यक्रम के अन्तर्गत रोज़गार की आवश्यकता के संबंध में पंचायत या ग्राम सभा के प्राधिकारियों-मजदूरों का सम्पर्क बराबर होगा ।

आजादी के बाद जिन लोगों ने संगठित रुप में प्रयास किए हैं उनका सामाजिक-आर्थिक विकास कहीं अधिक हुआ और अन्य लोग पिछड़े रह गए । केवल सरकारी प्रयास काफी नहीं हैं । विकास और प्रगति, सम्मान और सुरक्षा उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो संगठित हैं । संगठित रुप में प्रगति की योजनाओं का पता आसानी से मिल सकता है । उनके कार्यान्वयन में सहूलियत होती है । बहुत खर्चे बच जाते हैं । गरीबी निवारण कार्यक्रम में कुल संसाधनों का 10 प्रतिशत

भाग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रत्यक्ष लाभ के निर्माण कार्यों के लिए अलग रखा जाता है । इसके अलावा आवंटन का 20 प्रतिशत सामाजिक वानिकी के लिए निर्धारित किया जाता है । पानी की कमी वाले सभी गांवों में 20-सूत्री कार्यक्रम के अधीन वर्ष भर के लिए स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करने का त्वरित कार्यक्रम चल रहा है ।

छठी योजना के प्रारम्भ में पानी की कमी वाले 2.31 लाख गांवों का पता लगाया गया था । इनमें से इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1.92 लाख गांव लाए जा चुके हैं । इनमें वे गांव भी शामिल हैं, जिन्हें आंशिक रुप से इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाया गया है । इस वर्ष, केन्द्र प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत 298 करोड़ रुपये से अधिक राशि का प्रावधान है । भूमिहीनों और थोड़ी भूमि के धारकों के हित में भूमि सुधार उपाय प्रारम्भ किए गए हैं । एक व्यक्ति द्वारा अपने पास रखी जा सकने वाली भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी गई है । फालतू भूमि सरकार द्वारा भूमिहीनों में वितरण करने के लिए अपने कब्जे में ले ली जाती है । उन्हें भूमि का विकास करने के लिए सहायता दी जाती है । यह सहायता ऋण व उपदान के रुप में दी जाती है । उन्हें बीज और उर्वरक भी दिए जाते हैं ।

बहुमुखी प्रयास

आज देश में ग्रामीण विकास और ग्रामीण गरीबों को गरीबी से छुटकारा दिलाने के लिए अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं । गरीबी दूर करने से संबंधित इन कार्यक्रमों का उद्देश्य यह है कि ऐसे लोगों को आय का जरिया उपलब्ध कराया जाए जिनके पास इस तरह का कोई साधन नहीं है अथवा उनके पास उपलब्ध साधन पर्याप्त नहीं हैं । सातवीं पंचवर्षीय योजना में इन कार्यक्रमों को भूमि के पुनर्वितरण वाले भूमि सुधार उपायों के साथ समन्वित किया जा रहा है और काश्तकारी की सुरक्षा प्रदान की जाने की व्यवस्था है ।

सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत बार-बार सूखा पड़ने वाले क्षेत्रों में शुष्क भूमि पर खेती करने को बढ़ावा दिया जाता है । इस कार्यक्रम में जल संसाधनों, भूमि तथा नमी-संरक्षण का उपयुक्त इस्तेमाल होता है । वनरोपण, चरागाह एवं चारे के स्रोतों के विकास सहित पशुधन विकास इस कार्यक्रम की अन्य विशेषताएं हैं । इन क्षेत्रों के निवासियों को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता प्रदान की जाती है । मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत गर्म तथा शीत दोनों प्रकार के मरुभूमि क्षेत्रों में मुख्य रुप से वनरोपण, चरागाह विकास, रेत के टीलों को जमाना, सिंचाई सम्भाव्यता का सृजन, नलकूपों तथा पम्पसेटों को बिजली चालित करना और कृषि, बागवानी, पशुपालन संबंधी परियोजनाएं चलाई जाती हैं जिससे वहां के निवासियों के उत्पादन,आय तथा रोजगार के स्तर में वृद्धि हो और साथ ही मरूस्थलों का फैलाव रुके तथा उन पर काबू पाया जा सके ।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद ग्रामीण विकास के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने और ग्रामीण विकास के नए तरीकों को तैयार करने में जुटा हुआ है । यह ग्रामीण विकास कार्यक्रमों से संबंधित अनुसंधान तथा मूल्यांकन अध्ययन भी करता है ।

कृषि विपणन की मुख्य योजना (ग्रामीण बाजारों का विकास) के अंतर्गत फलों तथा सब्जियों सहित वाणिज्यिक फसलों का व्यापार करने वाले नियमित बाजारों के विकास के लिए सहायता की व्यवस्था और घाटे पर बिक्री पर रोक लगाने के उद्देश्यों से ग्रामीण गोदामों का जाल बिछाने हेतु "ग्रामीण गोदामों के राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना" नामक एक योजना कार्यान्वित की जा रही है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि, बागवानी तथा पशुधन के संबंधित पदार्थों का श्रेणीकरण किया जाता है और उन्हें मुहरबन्द करके "एगमार्क" से चिन्हांकित किया जाता है जिससे अपमिश्रण खराब मिलावट से बचाव होता है और पदार्थ की क्वालिटी सुनिश्चित होती है ।

इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण विकास में लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देने की स्वैच्छिक कार्य को प्रोत्साहन देने की योजना के अंतर्गत स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता देकर जन-सहयोग से लोगों द्वारा अनुभव की गयी आवश्यकताओं को पूरा करने वाली योजनाएं कार्यान्वित कराई जाना है । स्वैच्छिक संगठनों को भारतीय विकास लोक कार्यक्रम (पाडी) के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है । यह स्वायत्त निकाय, अधिकांश विदेशी दानदाताओं द्वारा दी गई सहायता को विकास गतिविधियों के लिए उपयोग में लाता है । भारतीय विकास लोक कार्यक्रम को ग्रामीण विकास विभाग द्वारा भी निधियां दी जाती हैं ।

ग्रामीण यातायात का विकास गरीबी हटाने के लिए महत्वपूर्ण है । न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 1990 तक 1500 और उससे अधिक की आबादी वाले सभी गांवों और 1000 से 1500 के बीच की आबादी वाले 50 प्रतिशत गांवों को सड़कों से जोड़े जाने का लक्ष्य है । विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत उपलब्ध निधियों की सहायता से ग्रामीण सड़कों का विस्तार और सुधार किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं ।

गरीबी का निवारण करने, कृषि उत्पादन बढ़ाने, रोजगार पैदा करने और ग्रामीण जीवन में सुधार लाने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कोष की स्थापना की गई है । इस कोष की प्रबन्ध व्यवस्था एक समिति द्वारा की जाती है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी हैं और इस समिति में वित्त मंत्री, योजना और ग्रामीण विकास के प्रभारी मंत्री सदस्य हैं । सचिव, ग्रामीण विकास इस समिति के सचिव हैं ।

राष्ट्रीय प्रयासों में भाग लेने के इच्छुक सभी श्रेणियों के करदाता

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि में अपना अंशदान दे सकते हैं । राज्य सरकारें विकास योजनाएं तैयार करने और उन्हें निष्पादित करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को आवश्यक सहायता प्रदान करती हैं । समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम जैसे विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की योजनाएं तैयार करने और उन्हें कार्यान्वित करने में भी ये संस्थाएं शामिल की जाती हैं ।

ग्रामीण विकास के लिए चलाए जा रहे सभी कार्यक्रमों की निगरानी की जाती है । समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम तथा भूमि सुधार कार्यक्रमों के संबंध में मासिक तथा तिमाही रिपोर्टें तैयार की जाती हैं तथा योजना आयोग को प्रस्तुत की जाती हैं ।

ग्रामीण प्रौद्योगिकी

ग्रामीणों के जीवनस्तर को ऊंचा उठाने और उनके जीवन को बेहतर बनाने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी का विस्तार करने के लिए ग्राम प्रौद्योगिकी विकास परिषद है । यह परिषद जो स्वायत्त शासी निकाय है, ग्रामीण प्रौद्योगिकी के संबंध में जानकारी भी सुलभ कराती है ।

गरीबों को गरीबी से छुटकारा दिलाने के लिए इतने ढेर सारे कार्यक्रम चल रहे हैं फिर भी गरीबी पर नियंत्रण पाने में अभी भी काफी समय लगेगा । जो कार्यक्रम कार्यान्वित हुए हैं अब उनके बारे में लगभग यह आम राय है कि उनका लाभ काफी कम मात्रा में गरीबों तक पहुंच पाया है । इसके अनेक कारण हैं । परन्तु एक सबसे प्रमुख तथ्य जो सभी कारणों के मूल में है वह यह है कि गरीबों को उनकी भलाई के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों के बारे में जानकारी का अभाव है ।

यद्यपि खण्ड विकास के अधीन ग्राम सेवकों या ग्राम विकास अधिकारी तथा पंचायत मंत्री (पंचायत सेक्रेटरी) प्रौढ़ शिक्षकों के जाल से यह आशा की जा सकती है कि वह इस ढंग से कार्यक्रम को आयोजित करें कि उनके क्षेत्र का प्रत्येक व्यक्ति पूरी विकास प्रक्रिया का जानकार हो जाए । पर तत्काल यह संभव नहीं है । अतः गरीब लोगों को चाहिए कि वे अपने आप को संगठन सूत्र में बांधें और इसके माध्यम से न केवल अपने लाभ के कार्यक्रमों की जानकारी हासिल करें बल्कि राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा में मिलकर चलने के लिए चहुंमुखी जानकारी प्राप्त करें । अपने निकटस्थ अधिकारी से मिलें या उससे उच्च अधिकारी से यह जानकारी प्राप्त करें । संगठन का अपना कोष भी वक्त जरुरत के लिए हो क्योंकि संगठन के पदाधिकारियों को आना-जाना भी पड़ सकता है । गरीबों को अपने कल्याण के कार्यों को अपने स्वयं के संगठनों के जरिए कार्यान्वित कराना चाहिए । अपने इस संगठन की बैठकों में ऐसी बातों पर भी विचार करना चाहिए कि क्या उनके परिमाण के अनुसार उन्हें पर्याप्त सहायता मिल रही है ? यदि नहीं तो उन्हें अपने संगठन के अधिकारियों को इसे प्राप्त करने का आदेश देना चाहिए । उन्हें यह भी सोचना चाहिए कि उनका अपना योग इन कार्यों में किस ढंग से और अधिक कारगर हो सकता है ।

सरकारी सहायता तभी रंग लाएगी जब लोग स्वयं प्रयास करेंगे । केवल संगठित प्रयासों से ही शोषण, अन्याय और दमन से बचकर उपलब्ध सहायता का लाभ उठाकर गरीबी और दासता की स्थिति से सदा-सदा के लिए मुक्त हुआ जा सकता है ।

184/346, ग्राम धीरपुर,
नई दिल्ली-110009

"जब आप वनों की सुरक्षा करते हैं तो न केवल आप वृक्षों को बचाते हैं वरन् राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करते हैं ।"

इन्दिरा गान्धी

इस्पात प्रबलित सीमेंट से निर्मित नौकाएं

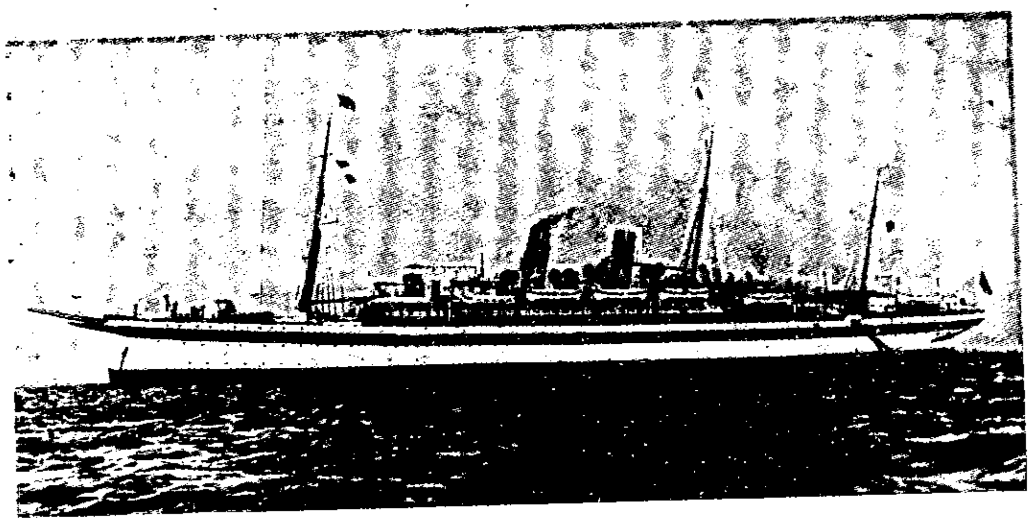

सरोजनी नायडू शायद इस्पात प्रबलित सीमेंट से निर्मित नौकाओं को देखकर गुनगुनगुनाने लगतीं । नाविक सिन्बाद नए-नए समुंद्रों का पता लगाने और नयी आश्चर्यजनक जगहों को जाने के लिए निश्चित ही इन्हें चलाना पसंद करता ।

कोरोमंडल तट एवं पश्चिमी समुद्र तट के घुर दक्षिणी क्षेत्र में अभी भी परम्परागत नौकाओं का उपयोग किया जाता है । लगभग डेढ़ लाख मछुआरे सागर की लहरों के साथ आने वाली सम्पदा (मछलियों) का दोहन करने के लिए इनका उपयोग करते हैं । समुद्र तट पर रहने वाले पांच लाख परिवार अपनी रोजी रोटी के लिए "कट्टामारन" नौकाओं पर निर्भर करते हैं । कई लोगों को सहारा देने वाली लकड़ी के कुंदो से बनी ये शाश्वत नौकाएं मंत्र मुग्ध कर देने वाली लोकवार्ताओं और सम्मोहित करने वाली किंवदंतियों का स्रोत होने के बावजूद दोषमुक्त नहीं हैं । हालांकि ये हर समय विभिन्न परिस्थितियों में लहरों का सामना करती हैं ।

नौकाएं लकड़ी से बनाई जाती हैं । इनके निर्माण के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विशेष लकड़ी को एक निश्चित आकार प्राप्त करने में लगभग 12 वर्ष का समय लगता है । लेकिन लकड़ी से निर्मित नौकाओं की आयु केवल तीन वर्ष होती है । भूमि पर पड़ने वाले दबावों और लठ्ठों की कमी के कारण इन्हें बदलना कठिन होता जा रहा है साथ ही फफूंद लगने के कारण लकड़ी के सड़ने का भी खतरा रहता है । परिणामस्वरुप लकड़ी पानी सोखना शुरु कर देती है जिससे इसका उपयोग कठिन हो जाता है । नौकाओं (कट्टामारन) की शक्ति घटने लगती है तथा धीरे-धीरे वे समुद्र में चलने योग्य नहीं रह जातीं । परम्परागत नौका का अगला भाग (गलही) अलग से बनाकर नाव में जोड़ा जाता है । इसके कम समय तक चलने के कारण शुरुआत में कम लागत, निशुल्क रख-रखाव, साधारण डिजाइन के लाभ खत्म हो जाते हैं ।

चूंकि लगभग दो लाख ऐसी नौकाएं काम में लाई जा रही हैं, अतः परम्परागत नौका के सभी गुणों से युक्त समुद्र में लम्बे समय

तक चलने वाली एक नई नौका तैयार करने के प्रयास किये जा रहे हैं। कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक (नाबार्ड) काफी लम्बे समय से इस दिशा में प्रयास कर रहा है। अब इस्पात प्रबलित सीमेंट से एक नई नौका तैयार की गई है तथा समुद्र में इस पर किए गए व्यापक परीक्षण सफल रहे हैं।

कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक (नाबार्ड) द्वारा विकसित इन नौकाओं को आसानी से बनाया जा सकता है तथा इनका जीवन लकड़ी से निर्मित नौकाओं की तुलना में तीन गुना अधिक होता है। इन नौकाओं को इस्पात प्रबलित सीमेंट, सीमेंट, इस्पात की छड़ों और झलाई की गई जालियों से बनाया जाता है। इसकी ताप सुचालकता बहुत ही कम होती है। स्वयं विद्युत एवं उष्मारोधी होने के साथ ही यह अग्नि एवं क्षरण से सुरक्षित है। सरलता से निर्माण तथा रखरखाव पर नाममात्र का खर्च इसकी अन्य विशेषताएं हैं।

इस्पात प्रबलित सीमेंट के तीन खंडों से निर्मित यह नौका 6.5 से 7.5 मीटर लम्बी है। इसमें चार मछुआरे बैठ सकते हैं।

यह नौका मद्रास के निकट रोयापुरम में मछुआरों को दी गई थी तथा इसे परम्परागत नौका से कहीं अधिक उपयोगी पाया गया है।

कोरोमंडल समुद्रतट पर लगभग 73, 000 ऐसी नौकाएं चलती हैं तथा कुल पकड़ी गई मछलियों में से 60 प्रतिशत इन्हीं के द्वारा पकड़ी जाती हैं। □

(आवरण पृष्ठ 2 का शेषांश)

पानी उपलब्ध करा रहे हैं।

एक समय था जबकि छह एकड़ जमीन के मालिक श्री नंजुनडप्पा को अपने परिवार के लिए दो जून की रोटी मुहैया कराना मुश्किल पड़ रही थी। परन्तु कुएं और पम्प सेट के लग जाने से उसका भाग्य ही बदल गया है। अब उसकी आय में दस गुना से अधिक की वृद्धि हुई है और अब वह व्यापारिक फसलें उगाने लगा है।

93 किसान पम्प सेटों को खरीदने और कुएं लगाने के लिए बैंक से पहले ही ऋण प्राप्त कर चुके हैं।

बैंक की सहायता में किसी को कोई भी सन्देह नहीं है। अधिक पानी के उपलब्ध हो जाने से चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। आसपास के गांवों के कई लोग शिवगंगा को देख चुके हैं और अपने गांवों में भी यही योजना शुरू करवाने के इच्छुक हैं। □

पेड़

—राजेन्द्र उपाध्याय

"पेड़ पर तुमने लिखी है बहुत कविताएं
अब बन्द करो
अब कटते पेड़ों को कविता में मत लाओ
यह न बताओ कि हम आरी चला रहे हैं उन पर"

मैं तो लिखूंगा उस पर कविताएं
जब तक वह मेरी दुनियां में है
मेरा हाथ थामे दुःख में
जब तक वह छाया है
अक्सर झुलसाती गर्मी में
मैं उसका हूं वह मेरा है

मैं लिखता हूं उस पर कविताएं
जैसे किसी दोस्त पर लिखता हूं

दोस्त मर जाते हैं एक दिन कविता में आकर
पेड़ फिर भी हरा रहता है कविता में
मैं उसकी जड़ों के सहारे
इस पृथ्वी के भीतर जाना चाहता हूं
मैं उसकी पत्तियों के सहारे
आसमान छूना चाहता हूं

मैं न रहूंगा
मेरी कविता न रहेगी
पेड़ फिर भी हरा रहेगा।

**ए-6, सनलाईट कालोनी, भाग-2
हरीनगर, आश्रम,
नई दिल्ली-110014**

खड़ा होता आदमी

सुबोध

"नई भाया, इब के जुरत है बिरखा को कें ठिकाणों । एक बार बीज गेर कर देख लिया । बीका रूपिया भी महाजन तांऊ न देणा हैं" । "पण काकी काल थोड़ी बिरखा होई है । इ में बीज गेरयां के बेरो उपरलो पन्द्रा बीस दिनां में ओजू छाँटों-छिड़को कर दे । जमी माता बीज राखे कोनी बाजरियो ऊपर आंतो इ दिखेगो" रामधम ने कहा । "पण बीज खातर रूपिया ओजू चायेसी भाया । महानन ताऊ तो बिना पीलिया क देवे कोनी" । काकी ने चाकी में से चून सोरते हुए कहा । "काकी म्हारी या मुन्दड़ी रखके ले आ" । रामधन ने अंगुली में से अपनी अंगुठी निकालकर दे दी ।

अंगुठी महाजन ताऊ के पास गिरवी रखकर बीज के लिए रु. लिये गये और रामधन ने खेत में बीज बो दिये । ऊपर वाले ने रामधन की फरियाद सुन ली और दिल खोलकर बरसा । सूरज उगने से पहले रामधन खेत चला जाता और दिन ढले गाय और बाछी के साथ लौटता । सर पर हरे घास का गट्ठर होता । कदमों में तेजी होती और दिल में उमंग । जब रामधन खेत में खड़ा होता । छाती तक बढ़ आए बाजरे को देख सीना चौड़ा कर हांक लगाता, " रहीम काका ! काकड़ी खाले...." रहीम काका आता काकड़ी खाता, मतीरा खाता और पीछे के सालों को अपनी जवानी की तरह याद करता जब बाजरा बाईस सेर का था और एक साल इतनी फसल हुई थी कि लोगों को नयी ओवरी बनानी पड़ी थी ।

गांव में जब जमाना होता है तो खुशी-सिर्फ उनके होठों से ही नहीं झलकती जिनके खेत-होता है वरन् पूरे गांव वालों के चेहरे खुशी से सरोबार हो जाया करते हैं।भोला,जिसने खेत-दुबारा नहीं बोया था जब भी रामधन से मिलता खिल उठता "किंयां भाईजी खेत का के हाल है ?"

रामधन गर्व से फूल उठता, "म्हे तो भाया तनै भी कहयो खत ओजूं बोले ऊपर लो धणी है पण तेरे भाया फौजी भाई की कमाई आवै तू क्यूं मिहनत करै ?" और इस ताने को सुन भोला हरदम की तरह गरम हो जाता मगर गांव की माटी ने कभी भी सम्बन्धों को बौना नहीं होने दिया । आखिर वो माटी तबसे उनके बदन से चिपकी थी जब वे छोटे थे, कुश्ती लड़ते थे, कबड्डी खेलते थे और जवानी की दहलीज पर आकर साथ-साथ खेत गोड़ते थे वैसे भी इस तरह की तूं-तूं...मैं मैं होना गांव वालो की दिनचर्या में शामिल है ।

रामधन का खेत गांव भर में इक्कीस था, ऊपर से रामधन की जी-तोड़ मेहनत । फसल कटकर जब घर पहुंची तो तमाम गुवाड़ी वाले दरुजे पर खड़े हो गये । रामधन ने काकड़ी-मतीरों से तमाम गुवाड़ी वालों की छगन भर दी थी । सबने उसे असीसा था । फसल देकर सबने ऊपर वाले को किरपा समझी और रामधन का भाग सराहा ।

फसल ओवरी में उतरे चौथा दिन हुआ नहीं था कि महाजन ताऊ अपने लठैतों को लेकर रामधन के दरवाजे पर आ धमका । पिछली साल उधार लिए पांच हजार रु. व उनका ब्याज कुल आठ हजार रु. महाजन ताऊ ने मांगे, रामधन गिड़गिड़ाया हाथ जोड़े मगर महाजन ताऊ ने एक ना सुनी और अपने कारिन्दो से पूरी ओवरी खाली करवा ली ।

दुःख और खिन्नता भरी इस शाम को रोटी भोला की औरत पकड़ा गई । रामधन जो हरदम रधिया से मजाक किये बैगर न चूकता था आज गूंगा बन बैठा रहा । सारी शेखी और शोखी बाजरे पर खड़ी थी और ओवरी आज खाली पड़ी थी ।

घर सूना-सूना था । खामोशी में काकी की सिसकियां गूंज उठती थीं । रात घिर आई और विधुर रामधन गाय को चारा-पानी देना भी भूल गया । बाछी के रंभाने पर रामधन चौंका और एक लंबी सांसभर गाय को निरनै उठ खड़ा हुआ । देर रात गये मुरली काका रहीम काका के साथ आया और ढाढस बंधा कर चला गया ।

आठ साल हो गए बापू को मरे हुए...नहीं बापू को मरे हुए नहीं उसे महाजन ताऊ के चुंगुल में फंसे हुए । जमा-जत्था जो थी बापू के संस्कारों में खत्म हो गई । वो और जमना आराम से गृहस्थी चला रहे थे कि अचानक न जाने किसकी नजर लगी कि जमना को एक दोपहरी सांप ने डंस लिया । बड़ा इलाज करवाया, बैदजी से, मगर नजरों की मार से कोई बच सका है आज तक।जमना की मौत के हादसे ने उसे अंदर से तोड़ और वह कर्जे के चंगुल में फंस गया । ना वो बापू के क्रिया-कर्म पर किये गये खर्चे की तरह बिरादरी में नाक रखने के लिए जमना के क्रिया-कर्म पर अनाप-शनाप खर्च करता और ना महाजन ताऊ का कर्जा होता । उस साल जब ओवरी में फसल पहुंची तो महाजन ताऊ ने पूरी फसल लठैतों से उठवा ली थी और फिर साल भर रामधन महाजन ताऊ से ब्याज पर ले-लेकर खर्चा चलाता रहा और साल भर में हुए कर्जे को महाजन ताऊ ने अगली फसल पर ओवरी खाली करवाकर वसूल लिया और आठ साल से यही सिलसिला चल

रहा है–साल भर में जो कर्ज होता है उसे महाजन ताऊ फसल होने पर वसूल लेता है और अगली साल ओवरी खाली करवाने के लिए साल भर कर्ज देता है

सुबह जब रामधन उठा सूरज देवता सिर आ गए थे। काकी दूध दुह चुकी थी और गायों को उसने चूणे में चरने के लिए खोल दिया था। रामधन तैयार होकर शिवदयाल मास्टरजी के साथ शहर चला गया।

चौथे दिन महाजन ताऊ गली में से गुजर रहा था। रामधन को दरवाजे पर बैठा देख रूक गया कहने लगा, "बेटा कोई दुःख मत पई, रूपिया-पीसा चाये तो ले ज्याई"।

रामधन अचानक तन गया, "आगली साल ओजू मेरो बाजरियो उठा कर ले ज्यावो इ खातर के?" "तो के पेटके पाटी बांध लेसी?" महाजन ताऊ ने समझाने वाले अन्दाज में कहा "भाया म्हे तो..." बात काटकर रामधन ने कहा, "ताऊ घणां दिन थे म्हाने मूरख बणाया। भलो हो मास्टरजी को जो थोड़ी अक्कल देई। म्हे तो सालभर मौज-मजा करता और खाली फसल पर काम करता। इब फसल पर तो काम करणो है ई। बाकी का दिना मं भी काम करस्या जिको म्हाने थारे स कर्जो लेणा की जुर्रत कोनी पड़े"।

"आ तो बहोत समझदारी की बात है बेटा पण काम करसी तो पीसा भी, चायसीन म्हारे कनै स ले ज्याई। तेराइ पीसा है बेटा..."

"नईर ताऊ, बैंक हारा गरीब आदमियां न धंधो करणै खातर लोन देवे है। चार दिन होगा मैं तो मास्टरजी के सागें जाकर फारम भर आयो। पन्द्रा बीस दिनां मं लोन पास हो ज्यासी। फेर म्हे डेरी करंगा थाँने चायै तो दूध अठैरा इ ले जाज्यो ताऊ म्हें गलो कोनी काटां"।

द्वारा : श्री मोहन लाल बियानी
चिरानियों का मोहल्ला
फतेहपुर-शेखावाटी
सीकर रेगजम
332301

मिट्टी ही नियति है

सत्यनारायण श्रीवास्तव

मिट्टी का
मधु-रस पिये हुए
लहलहाते उन्मत्त-से
हरे-भरे ये पौधे
मानो हमें
चुनौती दे रहे हैं
कि लो, देखो–
हमने कितनी गर्मी-जलन सही,
कितनी बरसातें,
कितनी शीतलहरी झेली !

ओ, मनुष्य !
ये सबकुछ
हमने सहा-झेला
तुम्हारे लिए ही !
तुम्हारा जीवन निर्भर है–
हम पौधों के
त्याग पर ही,
तुम्हारी भूख मिटाते
हम तपस्वी पौधे ही !

सचमुच–
धरती से
हमें वरदान मिला है,
वह हमें जिलाती,
हम तुम्हें जिलाते !
इस तरह, बंधु !
हम सभी
धरती की संतानें हैं,
मिट्टि ही तो–
हम सबकी
गति है–नियति है !

–'मिलन-यामिनी',
मोती झील,
मुज़फ्फरपुर (बिहार)

पूर्ण पोषक फल–पपीता

अयोध्या प्रसाद 'भारती'

पपीते का नाम सुनते ही मुँह से लार टपकने लगती है। गर्मी के मौसम में प्रकृति की अमूल्य देन पपीता एक पूर्ण पोषक फल है। पूर्वी (गर्म) देशों में लोग पपीता को औषधियुक्त फल समझकर इसे अपने यहां उत्पन्न करते हैं। विश्व प्रसिद्ध समुद्री यात्री कोलम्बस, मार्कोपोलो, वास्कोडिगामा आदि ने अपनी यात्रा विवरणों में इसका वर्णन किया है। उन्होंने इसे पूर्ण तथा पौष्टिक खाद्य बताया है। मार्कोपोलो ने अपने नाविकों का "स्कर्वी" नामक रोग पपीते से ठीक करने की बात लिखी है। वैज्ञानिक शोधों से ज्ञात हुआ है कि इसमें विटामिन 'ए' और 'सी' बड़ी मात्रा में होते हैं। इसके अतिरिक्त पपीता में विटामिन 'बी' तथा 'डी' भी खूब होते हैं। सबसे बड़ी विशेषता इसकी ये है कि जो वानस्पतिक 'पेप्सिन' अधिक पाचक पदार्थ होता है, इसमें अन्य फलों की अपेक्षा अधिक होता है। पपीते पर किये गये शोधों से पता चला है कि पपीते का रस अपने वजन से दो सौ गुना अधिक प्रोटीन बहुत शीघ्र पचा लेता है। इस कारण पपीता पेट के सभी विकारों में बहुत फायदा करता है। आयुर्वेद में पपीते को वात और पित्त नाशक बताया गया है। पपीते में 0.01 प्रतिशत कैल्शियम,0.01 प्रतिशत फासफोरस, 0.05 प्रतिशत प्रोटीन,0.1 प्रतिशत वसा, 6.5 प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट, 0.04 प्रतिशत खनिज लवण, 0.04 प्रतिशत लोहा प्रति सौ ग्राम होते हैं। एक किलो पपीते में लगभग 560 कैलोरी ऊर्जा होती है। इसमें शर्करा, साइट्रिक अम्ल, फौलिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल आदि भी होते हैं।,चिकित्सा विशेषज्ञों का मत है कि एक पाव पपीता प्रतिदिन खाया जाये तो निरोग रहा जा सकता है। इससे सेहत और सुन्दरता बढ़ेगी। पपीता आंतों की सफाई करता है। आंतों में पाचक क्षार का प्राकृतिक स्तर बनाए रखता है। पाचनतंत्र के तंतुओं को स्वस्थ तथा सशक्त बनाता है। पपीता अच्छे तंतुओं के निर्माण, दिल और नाड़ियों तथा पेशियों की क्रिया को ठीक किए रखता है और त्वचा को स्वस्थ रखता है। ये आंखों की ज्योति को साफ रखता है। इससे शरीर बढ़ता है। पपीते से विटामिन 'ए' अच्छी मात्रा में प्राप्त किया जा सकता है। मैग्नीशियम, सोडियम जैसे तत्व भी विद्यमान रहते हैं। इसमें 'पेप्सिन' नामक जो रस होता है वह मांस जैसे कड़े खाद्यों को शीघ्र पचा डालता है। चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार संधिवात और स्नायु प्रदाह उस रक्त विषमता और यूरिक अम्ल के ही परिणाम हैं जो खराब पाचन क्रिया के कारण शरीर में उत्पन्न होकर बाहर नहीं निकलते और शरीर में ही एकत्र होते रहते हैं। इस स्थिति का निवारण करने के लिए आंतों की सफाई अति आवश्यक है। आंतें साफ होती रहेंगी तो भोजन परिपाक तो होगा ही साथ ही खाने में आनन्द भी आएगा। पपीते में पेट को साफ करने वाले सभी तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। इससे मुख का स्वाद अच्छा होता है। मुँह की दुर्गन्ध दूर हो, आंतों की सफाई होकर शरीर स्वस्थ हो जाता है। पपीता विटामिन और खनिज (लवण) सस्ते में ही प्राप्त करने का अच्छा साधन है। कुछ लोग कहते हैं कि पका हुआ पपीता ही अच्छा होता है, लेकिन ये सही नहीं है। शोधों से पता चलता है कि पपीता कच्चा हो या पका हुआ लेकिन इसके पौष्टिक तत्व दोनों में बराबर रहते हैं। हाँ, ये अवश्य है कि पकने पर पपीते में रस की मात्रा अधिक हो जाती है। कच्चे पपीते की सब्जी का नियमित सेवन जिगर की बीमारी को ठीक करता है। सांस के रोगों जैसे दमा आदि में सोते समय रात को पपीता नियमित खाना चाहिए।

बच्चों के पेट में कीड़े हो गये हों तो कच्चे पपीते के दूध में शक्कर मिलाकर 8-10 बूंद दिन में 3-4 बार दें। अगर बवासीर या दाद हो गया हो तो कच्चे पपीते का दूध बवासीर या दाद पर लगाएं। शीघ्र लाभ होगा। कच्चे पपीते की सब्जी नियमित खाते रहने से जिगर के बढ़ने और कब्ज से छुटकारा मिलता है। पके हुए पपीते का गूदा नियमित रूप से चेहरे पर लगाने तथा बाद में चेहरे को गुनगुने पानी से धोने से थोड़े ही दिनों में चेहरा बिल्कुल साफ और सुन्दर हो जाएगा। चर्म रोगों में पपीते का दूध बहुत लाभदायक है। इसके नियमित इस्तेमाल से चर्म रोगों से मुक्ति मिलती है। पका हुआ पपीता प्रतिदिन सुबह खाली पेट खाने से मन्दाग्नि तथा अजीर्ण जैसे रोगों से बचा जा सकता है। इससे पाचन शक्ति भी बढ़ेगी।

इन्दिरा कालोनी,
गदरपुर, नैनीताल (उ.प्र)

बंगाली पान

भारत में पान या ताम्बूल देवताओं को नैवेद्य के रुप में अर्पित किया जाता है। पान के पत्ते में सुपारी के टुकड़े, थोड़ा सा चूना और इलायची व लौंग जैसे मसाले रख कर चबाने से मुंह का जायका ही बदल जाता है। कालांतर से पान में तम्बाकू का भी इस्तेमाल होने लगा। सुपारी, चूना और तम्बाकू को इस प्रकार तैयार किया जाता है कि पान चबाने में अधिक सुविधा हो। किन्तु पान के पत्ते की अपनी ही सुगन्ध होती है इसलिए इसे संसाधित नहीं किया जाता। देश के विभिन्न कवियों ने पान की सुगंधि से महकते बागों का काफी बखान किया है।

भारत में पान के पत्ते की खेती में लगभग 16 लाख परिवार लगे हैं। लगभग 8 अरब रुपये के पान के पत्तों का उत्पादन होता है। पश्चिम बंगाल में तो पांच लाख लोगों की जीविका का स्रोत यही है।

पान का पौधा लता के रूप में होता है। एक बीघा भूमि पर पान की लता रोपने में 7 हजार रुपये का खर्चा आता है। यह प्राय: र्च में लगाया जाता है तथा जून के बाद इसके पत्ते तोड़ना शुरु ता है।

पश्चिम बंगाल के मिदनापुर, नाडिया, हावड़ा, हुगली और 24 ना जिले पान के बागानों के लिए प्रसिद्ध हैं। इनका वार्षिक उत्पादन 500 करोड़ रुपये मूल्य का है। पश्चिम बंगाल में पान के पत्तों का प्रमुख बाजार मचेड़ा, मिदनापुर हैं जहां अच्छे किस्म के 1000 पत्तों पर 200 रुपये तक की आय हो जाती है। यहां 'मीठा' और 'बंगला' दो तरह के पान उगाये जाते हैं।

पान के पत्ते के उत्पादकों को अब समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत बैंकों से भी आर्थिक सहायता मिलती है। वर्ष 1984 में पान के पतों के उत्पादकों की सहायता के लिए शुरू की गई इस योजना का लाभ 11 पंचायतों के 34 गांवों को मिल रहा है।

सुरेन्द्र मोहन मेती ने 1976 में पान उगाना शुरु किया। शुरु में उन्होंने दो कठा के छोटे से भूखण्ड में पान उगाया। अब भारतीय स्टेट बैंक, काकद्वीप से वित्तीय सहायता प्राप्त कर उसने 12 कठा क्षेत्र में पान की खेती करनी शुरु कर दी है। उसे प्रतिमाह 2000 रुपये की आय होती है। यह बैंक, काकद्वीप में ही ऐसे 182 पान उत्पादकों को वित्तीय सहायता दे रहा है। पान की खेती में इतना लाभ है कि ग्रामीणों को बैंक के ऋण को वापस करने में कोई कठिनाई नहीं होती।

तमिलनाडु और केरल भी अपने पान के बागानों के लिए प्रसिद्ध हैं। ☐

आर.एन./708/57
डाक-तार पंजीकरण संख्या : डी (डी एन) 98
पूर्व भुगतान के बिना एन.डी.पी.एस.ओ., नई दिल्ली में डाक में डालने की अनुमति (लाइसेंस) : यू (डी एन)-55

RN/708/57
P & T Regd. No. D (DN) 98
Licenced under U (DN)-55
to post without pre-payment at NDPSO, New Delhi

डा. श्याम सिंह शशि, निदेशक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाऊस, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित और
पंजाब नेशनल प्रैस बी-11/2 ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया फेस-2
नई दिल्ली-110020 द्वारा मुद्रित